रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/2001

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 10, 2001 (माघ 21, 1922)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 10, 2001 (MAGHA 21, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुंबई, दिनांक 27 दिसम्बर 2000

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण नवंबर 2000 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है भाग ''क'' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ''ख'' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9% राहत बांड 1999 (कलकत्ता सर्किल)					
सीए - 1451	रु. 34,00,000/-	दिव्यानी सरकार (नाबालिग) चंपावती सरकार माता एवं स्वाभाविक अभिभावक	जून 2000 को समाप्त छमाही तक ब्याज का भुगतान किया गया है ।	दिव्यानी सरकार (नाबालिग)	फाइल सं. आई -2533 मुख्य प्रबंधक का दिनांक 22-11-2000 का आदेश (डायरी स. एलसीओ-76/2000-01 दिनांक 22-11-2000)
सीए - 1452	रु. 34,00,000/-	सुहासिनी सरकार (नाबालिग) चंपावती सरकार माता एवं स्वाभाविक अभिभावक	- वही -	सुहासिनी सरकार (नाबालिग)	फाइल सं. आई - 2534 मुख्य प्रबंधक का दिनांक 22-11-2000 का आदेश (डायरी सं. एलसीओ-75/2000-01 दिनांक 22-11-2000)

(श्रीमती एन. ए. अहलूवालिया)
कृते मुख्य महा प्रबंधक
27-12-2000

सूची क

कलकत्ता सर्किल

सीए - 1453	रु. 34,00,000/-	नीलिनी सरकार (नाबालिग) चंद्रावती सरकार माता एवं स्वाभाविक अभिभावक	- वही -	नीलिनी सरकार (नाबालिग)	फाइल सं. आई-2535 महा प्रबंधक का दिनांक 22-11-2000 का आदेश (डायरी सं. एलसीओ-74/2000-01 दिनांक 22-11-2000)
सीए - 1452	रु. 7,00,000/-	सरवाणी सरकार और अवीक कुमार सरकार	संचयी	सरवाणी सरकार और अवीक कुमार सरकार	फाइल सं. आई-2536 महा प्रबंधक का दिनांक 22-11-2000 का आदेश (डायरी सं. एलसीओ-73/2000-01 दिनांक 22-11-2000)
सीए - 1495	रु. 3,10,000/-	- वही -	- वही -	- वही -	- वही -
सीए - 1484	रु. 4,00,000/-	प्रतीती बसु सरकार एवं राखी सरकार	जून 2000 को समाप्त छमाही तक ब्याज का भुगतान किया गया ।	प्रतीती बसु सरकार एवं राखी सरकार	फाइल सं. आई-2537 महा प्रबंधक का दिनांक 22-11-2000 का आदेश (डायरी सं. एलसीओ-77/2000-01 दिनांक 22-11-2000)
10% राहत बांड 1995					
सीए - 8406	रु. 50,000/-	उत्पल गांगुली (दिनांक 19-9-1999 को दिवंगत) और आरती घोष	जून 2000 को समाप्त छमाही तक ब्याज का भुगतान किया गया	आरती घोष	फाइल सं. आई-2540 महा प्रबंधक का दिनांक 22-11-2000 का आदेश (डायरी सं. एलसीओ-78/2000-01 दिनांक 22-11-2000)
सीए - 8407	रु. 50,000/-	- वही -	- वही -	- वही -	- वही -
10% राहत पत्र 1993 (नई दिल्ली सर्किल)					
डीएच- 000181	रु. 75,000/-	अनवर उल्लाह खान एवम परवीन रशीद		परवीन रशीद	पीडीओ/डीटी/एलएन-8/20 दिनांक 17-11-2000

(श्रीमती एन. ए. अहले)
कृते मुख्य महा प्रबंधक
27-12-2000

सूची ख

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बक्रया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कानपुर सर्कल 9% राहत बांड 1999 (असंचयी)					
के.एन. 000271	रू.1,50,000/-	नितिन सरीन (माइनर) दवी सरीन (पिता)	1.7.1999	दवी सरीन (पिता)	आई.आर.1147/71 दिनांक 2.6.2000
10% राहत बांड 1995 (असंचयी)					
के.एन. 001268 से 1273	रू.1,00,000/- (प्रत्येक)	अजब कौर एवं हरनाम सिंह "इ" आर "एस"	17.3.98	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	आई.आर.1148/52 दिनांक 2.6.2000
के.एन. 001274 से 1287	रू.1,00,000/- (प्रत्येक)	अजब कौर एवं हरनाम सिंह "इ" आर "एस"	17.3.98	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	आई.आर.1148/52 दिनांक 2.6.2000
के.एन. 001505 से 1525	रू.1,00,000/- (प्रत्येक)	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	23.6.98	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	आई.आर.1148/52 दिनांक 2.6.2000
के.एन. 002044 से 2050	रू.1,00,000/- (प्रत्येक)	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	13.11.98	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	आई.आर.1148/52 दिनांक 2.6.2000

(श्रीमती एन. ए. अहमद)
कृते मुख्य महा प्रबंधक
27-12-2000

सूची 'ख'

कलकत्ता सर्किल 9% राहत बांड 1999(संचयी)					
सीएसी-002343	रू.25,000/-	ज्योति देब और मधुबाल देब	संचयी	ज्योति देब और मधुबाल देब	फाइल सं.आई-2539 महाप्रबंधक का दिनांक 14.10.2000 का आदेश दिनांक 14.10.2000 की डायरी सं.एलसीओ-47/2000-01 द्वारा
सीएसी-002769	रू.25,000/-	ज्योति देब और मधुबाल देब	संचयी	ज्योति देब और मधुबाल देब	वही
सीएसी-002342	रू.25,000/-	मधुबाल देब और ज्योति देब	संचयी	मधुबाल देब और ज्योति देब	वही
सीएसी-002768	रू.25,000/-	मधुबाल देब और ज्योति देब	संचयी	मधुबाल देब और ज्योति देब	वही
10% राहत बांड 1995					
सीए-8351	रू.1,00,000/-	सुजाश मजुमदार और रंजा मजुमदार	दिनांक 30 जून 2000 को समाप्त छमाही तक ब्याज का भुगतान किया गया है	सुजाश मजुमदार और रंजा मजुमदार	फाइल सं.आई-2541 महाप्रबंधक का दिनांक 28.10.2000 का आदेश दिनांक 28.10.2000 की डायरी सं.एलसीओ-59/2000-01
10 प्रतिशत राहत बांड 1995 (असंचयी) - अहमदाबाद सर्किल					
एडी-2069	रु. 2,75,000/-	1. उदय बाबुभाई पटेल और 2. भारंती उदय पटेल	खो जाने के पश्चात् 1-1-2000	1. उदय बाबुभाई पटेल और 2. भारंती उदय पटेल	एलएन/एस/0333 के.का. डायरी सं. 118 दिनांक 23-9-2000

(श्रीमती एन. ए. अहते)
कृते मुख्य महा प्रबंधक
27-12-2000

Gazette Nov.

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
मुंबई

दिनांक 6.12.2000

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण अक्तूबर 2000 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है , जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है । नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें ।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है । भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई है और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है ।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कानपुर सर्कल 9% राहत बांड 1999 (असंचयी)					
के.एन. 000271	रू.1,50,000/-	नितिन सरीन (माइनर) दवी सरीन (पिता)	1.7.1999	दवी सरीन (पिता)	आई.आर.1147/71 दिनांक 2.6.2000

सूची "क"

10% राहत बांड 1995 (असंचयी)

के.एन. 001268 से 1273	रू.1,00,000/- (प्रत्येक)	अजब कौर एवं हरनाम सिंह "इ" आर "एस"	17.3.98	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	आई.आर.1148/57 दिनांक 2.6.2000
के.एन. 001274 से 1287	रू.1,00,000/- (प्रत्येक)	अजब कौर एवं हरनाम सिंह "इ" आर "एस"	17.3.98	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	आई.आर.1148/57 दिनांक 2.6.2000
के.एन. 001505 से 1525	रू.1,00,000/- (प्रत्येक)	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	23.6.98	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	आई.आर.1148/57 दिनांक 2.6.2000
के.एन. 002044 से 2050	रू.1,00,000/- (प्रत्येक)	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	13.11.98	हरनाम सिंह एवं अजब कौर	आई.आर.1148/57 दिनांक 2.6.2000
कलकत्ता सर्कल 9% राहत बांड 1999(संचयी)					
सीएसी-002343	रू.25,000/-	ज्योति देब और मधुबाल देब	संचयी	ज्योति देब और मधुबाल देब	फाइल सं.आई-2539 महाप्रबंधक का दिनांक 14.10.2000 का आदेश दिनांक 14.10.2000 की डायरी सं.एलसीओ-47/2000-01 द्वारा
सीएसी-002769	रू.25,000/-	ज्योति देब और मधुबाल देब	संचयी	ज्योति देब और मधुबाल देब	वही

सूची "क"

सीएसी-002342	रू.25,000/-	मधुबाल देब और ज्योति देब	संचयी	मधुबाल देब और ज्योति देब	वही
सीएसी-002768	रू.25,000/-	मधुबाल देब और ज्योति देब	संचयी	मधुबाल देब और ज्योति देब	वही
10% राहत बाड 1995					
सीए-8351	रू.1,00,000/-	सुजाश मजुमदार और रंजा मजुमदार	दिनांक 30 जून 2000 को समाप्त छमाही तक ब्याज का भुगतान किया गया है	सुजाश मजुमदार और रंजा मजुमदार	फाइल सं.आई-2541 महाप्रबंधक का दिनांक 28.10.2000 का आदेश दिनांक 28.10.2000 की डायरी सं.एलसीओ-59/2000-01

Gazette Oct.

पुन.पु.आदेश
(श्रीमती एन.ए. आलते)
कृते मुख्य महा प्रबंधक
6.12.2000.

सूची ख

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10 प्रतिशत राहत बांड 1995 (असंचयी) - अहमदाबाद सर्किल					
एडी-2069	रु. 2,75,000/-	1. उदय बाबुभाई पटेल और 2. भारंती उदय पटेल	खो जाने के पश्चात् 1-1-2000	1. उदय बाबुभाई पटेल और 2. भारंती उदय पटेल	एलएन/एस/0333 के.का. डायरी सं. 118 दिनांक 23-9-2000
9 प्रतिशत राहत पत्र 1987 (जी.पी.) (भायखला, मुंबई) सर्कल					
बीसी-10425	रू.1,60,000/-	जोगिन्दर कौर कोहली मनमोहन सिंह चड्ढा	6.9.1990	जोगिन्दर कौर कोहली मनमोहन सिंह चड्ढा	2.3.2000
9 प्रतिशत राहत पत्र 1999 (असंचई) अहमदाबाद सर्कल					
एडी-001190	रू.70,000/-	1. क्रिष्णा रामानाथन 2. सुगुना रामानाथन 3. वैदेही रामानाथन	1.1.2000	1. क्रिष्णा रामानाथन 2. सुगुना रामानाथन 3. वैदेही रामानाथन	एलएन/एस/0334 के.का.डायरी सं.66 दिनांक 8.8.2000

पुन. पु. आहाले
(श्रीमती एन.ए.. आहाले)
कृते मुख्य महा प्रबंधक
6-12-2000

भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय
सचिव विभाग, मुंबई - 400001

भारतीय रिज़र्व बैंक, सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 24 में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्र सरकार की पूर्वस्वीकृति से एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 संशोधित करने के लिए निम्नानुसार विनियम करता है, अर्थात् :

1. (1) इन विनियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य (संशोधित) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किये जाने पर दिनांक 19 अक्तूबर 2000 से प्रभावी होंगे ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 में विनियम 24 के मौजूदा उप-विनियम (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रयोग में लाये जायेंगे ।

24(i) अधिनियम की धारा 8(1)(ख), 8(1)(ग) और 12(4) के अंतर्गत नामित निदेशकों को केन्द्रीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक और केन्द्रीय बोर्ड की समिति की प्रत्येक बैठक, जिसमें वे भाग लेते हैं, के लिए क्रमशः 2000 रुपये और 1000 रुपये की फीस प्राप्त होगी।

24(ii) स्थानीय बोर्ड के सदस्यों को, स्थानीय बोर्ड की बैठक में उपस्थित रहने पर प्रति बैठक 2000 रुपये फीस प्राप्त होगी ।

(पी.आर.गोपाल राव)
कार्यपालक निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक
लोक ऋण कार्यालय
मुंबई 400 001

अधिसूचना सं.लोऋका/.0.14.02/औद्योगिक वित्त निगम बांड, दिनांक 1 जनवरी 2000 2001

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948(1948 का 15 वां) के खंड 43 के अंतर्गत बनायी गयी औद्योगिक वित्त निगम (बांड निर्गम) विनियमावली 1949 के विनियम 10 के अनुसरण में दिनांक 31 दिसम्बर 2000 को समाप्त हुए छः माहों के लिए गुम हुए आदि बांडों की निम्नलिखित सूची इसके साथ प्रकाशित की जा रही हैं, जिनके संबंध में प्रथम दृष्ट्या यह मानने के लिये आधार है कि ये बांड खो गये हैं और आवेदकों के दावे न्याय संगत हैं। जिन दावेदारोंके नाम नीचे दिये गये है, उनसे भिन्न यदि किसी व्यक्ति को इन बांडों पर कोई भी दावा करना हो तो वे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, मुंबई 400 001 से तत्काल संपर्क करें। यह सूची दो भागों में विभाजित की गयी हैं, भाग क उन प्रतिभूतियों की सूची है, जिनका विज्ञापन पहली बार किया जा रहा है और भाग ख उन प्रतिभूतियों की सूची हैं जिनका विज्ञापन पहले किया जा चुका हैं।

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रु	निम्नलिखित के नाम जारी	निम्नलिखित दिनांक से ब्याज देय	चुकौती मूल्य के भुगतान / डुप्लीकेट जारी करने और उपचित ब्याज के भुगतान के लिए दावेदारों के नाम	जारी किये गये आदेशों की संख्या और दिनांक	प्रकाशन की वह तिथि जब प्रतिभूति का पहले उल्लेख किया गया
1	2	3	4	5	6	7
सूची क -			कुछ नहीं।			
सूची ख -						
7.25 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड, 1997						
1. बी वाई - 000908 - बी वाई 000910	3,00,000/- (3×1,00,000/-)	ए एन ज़ेड ग्रिंडलेज बैंक	29.9.1995	मधुर कॅपिटल और फायनान्स लि. अहमदाबाद	मामला सं. 20.04.2075 महाप्रबंधक के दिनांक 03.03.1999 के आदेश तथा उसी दिनांक की केंद्रीय कार्यालय डायरी सं. 718	31.07.1999
13 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड, 2008 (64 वी शृंखला)						
1 बी वाई 000077- बी वाई 000082	60,00,000/- (6 X 10,00,000)	भारतीय रिज़र्व बैंक	28.1.1996	न्यासी, भारत पेट्रोलियम निगम लि. की अवदान निधि	मामला सं.20.04.2034 महाप्रबंधक के दिनांक 8.1.1998 के आदेश और केंद्रिय कार्यालय डायरी सं.404 दिनांक 12.1.1998	14.02.1998

(अ.बी. तेलंग)
महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय निदेशक

अधिसूचना

अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000.

संख्या.औवि:2000-07. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्यमान बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी (कर्मचारी) सेवा निवृत्ति पश्चात निजी क्षेत्र के संस्थानों में रोजगार स्वीकारना विनियम 1980, का अधिक्रमण करते हुए बैंक आफ इंडिया का निदेशक बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(१) इन विनियमों को बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000 कहा जा सकेगा.

(२) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. प्रयोज्यता

ये विनियम, निम्नलिखित के सिवाय, बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे :

(I) बैंक का अध्यक्ष;

(II) बैंक का प्रबंध निदेशक;

(III) पूर्णकालिक निदेशक, यदि कोई हो;

(IV) बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल अधिकारी कर्मचारी;

(V) वे, जो आकस्मिक रोजगार में हैं या जिन्हें आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है;

(VI) पंचाट कर्मचारी (अवार्ड स्टाफ);

(VII) संविदागत अधिकारी;

3. परिभाषाएं :-

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "बैंक" से बैंक ऑफ़ इंडिया अभिप्रेत है,

(ख) "बोर्ड" से बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत।

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(घ) "गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(I) किसी भी रूप में कोई रोजगार, जिसमें किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित), सहकारी समिति, फर्म में एजेंट या व्यापार वाणिज्यिक, वित्तीय या व्यावसायिक कारबार में लगा व्यक्ति शामिल है और इसमें ऐसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) का निदेशक और ऐसी फर्म की भागीदारी भी शामिल है, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व वाले या नियंत्रण वाले किसी निगमित निकाय के अधीन रोजगार शामिल नहीं है,

(II) उन मामलों में, सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में, व्यवसाय शुरु करना, जिनके संबंध में व्यक्ति के पास :-

(क) कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है और वे मामले, जिनके संबंध में व्यवसाय शुरु किया जाना है या किया जाता है, उसके सरकारी ज्ञान या अनुभव से संबंधित है या

(ख) व्यावसायिक योग्यता है किन्तु, वे मामले, जिनके संबंध में ऐसा व्यवसाय शुरु किया जाना है, इस तरह के है, जिनसे उसकी पूर्व सरकारी हैसियत की वजह से उसके ग्राहकों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है, या

(ग) उसे ऐसा कार्य शुरु करना है, जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संबंध या सम्पर्क करना शामिल है

स्पष्टीकरण :-

इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "निगमित समिति में रोजगार" अभिव्यक्ति में अध्यक्ष (प्रेसीडेंट), सभापति (चेयरमैन), प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि, उस समिति में चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, जैसा कोई पद धारित करना, चाहे चयनित हो या अन्यथा शामिल है,

(ङ) "अधिकारी कर्मचारी" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो बैंक में पर्यवेक्षक, प्रशासक या प्रबंधकीय पद पर रहा हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसे सेवानिवृत्ति के समय बैंक के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या जिसने अधिकारी के रूप में कार्य किया हो चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो,

4. सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार स्वीकार करना

(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले अधिकारी कर्मचारी के पद पर रहा हो और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने के पहले निजी क्षेत्र में कोई कार्य स्वीकार करने का इच्छुक हो तो उसे इस संबंध में बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी.

(2) उप विनियमन (3) के प्रावधानों के अध्यधीन, बैंक किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आवश्यक हों, किसी व्यक्ति को आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है, या मना कर सकता है, जिसका कारण आदेश में रिकार्ड किया जाएगा.

(3) किसी व्यक्ति को उप विनियमन (2) के अंतर्गत कोई व्यावसायिक रोजगार अपनाए जाने की अनुमति देने या इस प्रकार की अनुमति से मना करने पर बैंक निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा नामतः

(क) अपनाए जाने वाले प्रस्तावित रोजगार की प्रकृति तथा नियोक्ता के पूर्ववृत्त;

(ख) क्या अपनाए जाने वाले रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की हो सकती है कि बैंक के साथ उसका संघर्ष हो;

(ग) क्या अधिकारी कर्मचारी, जबकि वह सेवा में था, ने उस नियोक्ता के साथ, जिसके तहत उसे कार्य करना प्रस्तावित है, कोई इस प्रकार का लेनदेन किया था जिससे इस प्रकार का शक होने का तर्कसंगत आधार बने कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे नियोक्ता के प्रति पक्षपात दर्शाया हो;

(घ) क्या प्रस्तावित व्यावसायिक रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की है जिसमें बैंक के साथ संबंध या सम्पर्क रहेगा;

(ङ) क्या उसके व्यावसायिक रोजगार इस प्रकार के हैं जिसमें बैंक के तहत उसकी पूर्व आधिकारिक स्थिति या ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोक्ता, अनुचित लाभ उठा सकता है;

(च) प्रस्तावित नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली परिलब्धियां, और

(छ) कोई अन्य संबंधकारक.

4. जहां उप विनियमन (2) के अंतर्गत किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिनों की अवधि के भीतर यदि बैंक आवेदन पर अनुमति नामंजूर नहीं करता है या आवेदक को इस नामंजूरी के बारे में सूचित नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदन पत्र के संबंध में अपनी अनुमति प्रदान कर दी है,

बशर्ते कि, किसी ऐसे मामले में जहां कि आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी गई है और बैंक के लिए उससे स्पष्टीकरण या और सूचना मांगना आवश्यक हो तो साठ दिन की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को ऐसी त्रुटि आवेदक ने दूर कर दी या पूर्ण सूचना दे दी.

5. जहां बैंक किसी शर्त के अध्यधीन आवेदन किए गए प्रयोजन की अनुमति प्रदान करता है या ऐसी अनुमति देने से मना करता है तो आवेदक बैंक से ऐसे आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ऐसी किसी शर्त या मनाही के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और बैंक उस पर ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझे,

बशर्ते कि, इस उप विनियमन के तहत ऐसी शर्त को रद्द करनेवाला आदेश या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुमति प्रदान करनेवाले आदेश के अलावा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जिससे कि अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताओ का अवसर न प्रदान किया जा सके.

6. इस विनियमन के तहत बैंक द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश को संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा.

(जे. एस. दलाल)
उप महाप्रबंधक

केनरा बैंक
औद्योगिक संबंध अनुभाग
कार्मिक विभाग : प्रधान कार्यालय
112, जे सी रोड, बैंगलूर - 560 002

दिनांक 4/12/... 2000

जी एस आर सं औ.सं.अनु/124सी/6479/एल एके... बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों को केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2000 कहा जा सकेगा ।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में, विनियम 6 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

   (2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ दुराचरण या कदाचार के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच करने के लिए आधार है, तो वह स्वयं उसकी सत्यता की जांच कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति, जो लोक सेवक है या रहा हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच प्राधिकारी कहा गया है) को उसकी सत्यता की जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :

जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है तो उप-विनियम (8) से लेकर उप-विनियम (21) तक में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है ।

याद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन निम्नलिखित विवरण के अनुसार राजपत्रित किए गए थे ।

1. अधिसूचना संख्या 8 एच ओ 88 जी एस आर दि. 01/02/1988

2. अधिसूचना संख्या आई आर एस डी पी 326/88/जी एस आर दि. 06/07/1988

3. अधिसूचना संख्या आई आर एस 1 9926 एन ए के दि. 11/04/1998

श्रीनाथ
एन एस श्रीनाथ
सहायक महा प्रबंधक

बेंगलूर - 560 002 दिनांक 04/12/.... 2000

सं. औ.सं.अनु/124ए/6480/एन ए के ...... बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियमन 1976 में संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियमन बनाता है नामतः

1. (1) इन विनियमनों को केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियमन 2000 कहा जा सकेगा ।

   (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. केनरा बैंक के अधिकारी (आचरण) विनियमन 1976 में विनियम 24 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा नामतः

   24 (क) कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण का निषेध

   (1) कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य के स्थान के किसी प्रकार के यौन शोषण के कार्य में लिप्त नहीं होगा ।

   (2) प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी जो किसी कार्य के स्थान का प्रभारी है, ऐसे स्थान पर किसी महिला के यौन शोषण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करेगा ।

व्याख्या : इस विनियम के लिए यौन शोषण में अस्वीकार्य यौन संबंधी व्यवहार (चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से किए गए हों या अन्यथा) शामिल हैं जैसे .....

(क) शारीरिक संबंध बनाना या ऐसा प्रस्ताव रखना,
(ख) यौन संबंधी क्रियाओं के लिए अनुरोध या मांग करना,
(ग) यौन संबंधी टिप्पणियां करना,
(घ) अश्लील साहित्य दर्शाना, या
(ङ) किसी अन्य प्रकार का अस्वीकार्य शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक यौनाचार आचरण ।

पाद टिप्पणी : भारत के राजपत्र के भाग III धारा 4 में उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन निम्नलिखित विवरण के अनुसार राजपत्रित किए गए थे :

1. अधिसूचना संख्या 8एचओ/एमआईएससी/5020/88-06/08/1988
2. अधिसूचना दि. 29/06/1991
3. अधिसूचना संख्या आईआरएस/1/1872/डीआरडी-9/10/1993

एन एस श्रीनाथ
सहायक महा प्रबंधक

बेंगलूर - 560 002, दिनांक : 30.12.2000

सं.औ.सं.अनु/124पे/6996/पनपेके बैंककारी कम्पनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है नामत:

1. (i) इन विनियमों को केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम 2000 कहा जा सकेगा ।

(ii) ये विनियम राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. केनरा बैंक के अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 में --

(i) विनियम 3 के उप नियम (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः

"प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी बैंक के हितों को सुनिश्चित करने एवं उनकी की रक्षा करने के लिए सदैव सभी संभव उपाय करेगा तथा अपना कार्य पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्ठा एवं तत्परता से करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एक अधिकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो ।"

(ii) विनियम 3 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, नामतः

बशर्ते कि जहाँ ऐसे निदेश मौखिक रूप से दिए जाएँ, इन निदेशों की पुष्टि उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की जाएगी ।

(iii) विनियम 6 के उप-विनियम (1) में विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"किन्तु ऐसी कोई मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक या धर्मार्थ अवैतनिक कार्य या साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक प्रकार के प्रासंगिक कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उससे उसकी कार्यालय ड्यूटियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । लेकिन यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए कारण बताते हुए ऐसा न किए जाने का अनुदेश दिया जाता है तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा ।"

(iv) विनियम 6 के उप-विनियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः

"(4) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी सार्वजनिक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए शुल्क, पारिश्रमिक, मानदेय एवं ऐसे किसी रूप में नकद अथवा इस प्रकार का कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा ।"

एल एस श्रीनाथ

सहायक महा प्रबंधक

पाद टिप्पणी : उक्त विनियमों में पहले किए गए आशोधनों को भारत के राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित किया गया है, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :

1) अधिसूचना सं. बीएचओ/विविध/5020/88 - 6.8.1988
2) अधिसूचना दिनांक 29.6.1991
3) अधिसूचना सं. आईआरएस/1/1872/डीआरडी - 9.10.1993

कलकत्ता - 700 001 दिनांक 29-11-2000

सं. 4/2000- युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित विनियम बनाता है जो इस प्रकार है :-

1. (1) इन विनियमो का नाम युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 है ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र मे उनके प्रकाशन की तिथि को प्रभावी होंगे ।

2. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में विनियम 24 के बाद, निम्नलिखित विनियम अंतर्विष्ट होगा, जो इस प्रकार है :-

"24क सेवारत महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वर्जन .

(1) कोई भी अधिकारी-कर्मचारी किसी महिला के उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कार्य में लिप्त नही होगा ।

(2) प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी जो कि किसी कार्यस्थल का प्रभारी है, वह ऐसे कार्यस्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाएगा ।

स्पष्टीकरण इस विनियम के उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में ऐसे अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे (चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्यथा), जो नीचे उल्लिखित हैं :-

(क) शारीरिक संपर्क और उससे आगे बढ़ना;
(ख) यौनाचार हेतु मांग अथवा अनुरोध;
(ग) यौनेच्छापरक टिप्पणियां;
(घ) अश्लील तस्वीर दिखाना; अथवा
(ङ) कामप्रवृत्ति का कोई और अवांछित शारीरिक, मौखिक अथवा अमौखिक इंगितपरक आचरण ।

दीपक कुमार भट्टाचार्जी
(डी.के. भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक (कार्मिक)

बेंगलूर, दिनांक : 24.11.2000

सं. पी ई आर/आईआरडी/2853. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980(1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए, विजया बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(आचरण) विनियम, 1981 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित विनियम बनाता है अर्थात्:

1. (1) इन विनियमो को विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(आचरण) संशोधन विनियम, 2000 कहा जाए।

(2) ये विनियम राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगे.

2. विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(आचरण) विनियम, 1981 मे विनियम 24 के बाद, नीचे उल्लिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्, ;

24(क) कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण का निषेध:

(1) कोई भी अधिकारी कर्मचारी, किसी महिला के कार्य स्थान मे किसी प्रकार का यौन शोषण नहीं करेगा.

(2) ऐसे हर एक अधिकारी कर्मचारी को, जो किसी कार्य स्थान का प्रभारी हो, अपने कार्य स्थान मे किसी महिला पर यौन शोषण होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाना पड़ेगा.

व्याख्या : इस विनियम के प्रयोजन के लिए, " यौन शोषण " मे अस्वीकार्य यौन संबंधी ऐसे व्यवहार (चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से किए गए हो अथवा अन्यथा) शामिल हैं जैसे:

(क) शारीरिक संबंध बनाना या ऐसा प्रस्ताव रखना,
(ख) यौन संबंधी क्रियाओ के लिए अनुरोध या मांग करना,
(ग) यौन संबंधी टिप्पणियां करना,
(घ) अश्लील साहित्य दर्शाना, या
(ङ) किसी अन्य प्रकार का अस्वीकार्य शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक यौनाचरण.

बी. श्रीधर रेड्डी

(बी. श्रीधर रेड्डी)
महा प्रबंधक (कार्मिक)

मुंबई - 400 005. दिनांक :- 18-12-2000

सं.पेंन/संशो./01/2000 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देना बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से देना बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 में संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियमन बनाता है यानतः

1. (1) इन विनियमनों को देना बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियमन, 2000 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. देना बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 में विनियम 22 के उपविनियम (4) के खण्ड (ख) को निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानतः-

"(ख) खण्ड (क) की कोई भी बात त्याग पत्र पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के कारण हुए व्यवधान पर लागू नहीं होगी ।"

पाद टिप्पणी :- प्रधान विनियमन भारत सरकार के असामान्य राजपत्र दिनांक 29 सितंबर, 1995 में प्रकाशित किए गए थे ।

बी बन्द्योपाध्याय

(बी. बंद्योपाध्याय)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

सं.आईआर/संशो./01/2000 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देना बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियमन, 1976 में संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियमन बनाता है यानतः

1. (1) इन विनियमनों को देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियमन, 2000 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. देना बैंक के अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियमन, 1976 में विनियम 24 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा यानतः

24 (क) कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण का निषेध

(1) कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य के स्थान के किसी प्रकार के यौन शोषण के कार्य में लिप्त नहीं होगा ।

(2) प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी जो किसी कार्य के स्थान का प्रभारी है, ऐसे स्थान पर किसी महिला के यौन शोषण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करेगा ।

व्याख्या इस विनियम के लिए यौन शोषण में अस्वीकार्य यौन संबंधी व्यवहार (चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से किए गए हों या अन्यथा) शामिल हैं जैसे .....

(क) शारीरिक संबंध बनाना या ऐसा प्रस्ताव रखना,

(ख) यौन संबंधी क्रियाओं के लिए अनुरोध या मांग करना,

(ग) यौन संबंधी टिप्पणियां करना,

(घ) अश्लील साहित्य दर्शाना, या

(ङ) किसी अन्य प्रकार का अस्वीकार्य शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक अनाचार आचरण ।

बी बन्द्योपाध्याय

(बी. बंद्योपाध्याय)

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
पूर्व क्षेत्रीय समिति
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
15, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751012
फैक्स - (0674) 414873, फोन -(0674) 416156, 415793
ई मेल - vkaerc@hotmail.com visit us at http:/ / www.ncte-in.org

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1404 दिनांक 29.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **दूधनोल टीचर्स ट्रेनिंग कालेज , पो. दूधनोल, जि. ग्वालपाड़ा -783124 (असम)** ने एक वर्षीय **बी एड पाठ्यक्रम** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि पूर्व क्षेत्रीय समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित दल ने 13.12.99 को आवेदक संस्था का दौरा किया ।

और जब कि दौरे पर गये दल की रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 20.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्था की मान्यता निम्न कारणों से अस्वीकार की जाय :

1. कंप्यूटर, मनोविज्ञान एवं विज्ञान प्रयोगों हेतु कोई बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला नहीं है ।
2. शिक्षकों को एनसीटीई द्वारा संस्तुत यूजीसी/ राज्य सरकार वेतमानों के विरुद्ध 1000/रु. समेकित वेतन प्रतिमाह दिया जाता है।
3. कामनरूम, पेयजल, हास्टल आदि की मूलभूत सुविधा नहीं है ।
4. कक्षाओं में फर्नीचर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप उपलब्ध नहीं है ।
5. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप 1500 की बजाय लाइब्रेरी में सिर्फ 337 पुस्तकें ही हैं ।
6. संस्थान में खेलकूद की कोई सुविधा नहीं है ।
7. संस्थान में कोई तकनीकी सहायक स्टाफ नहीं है ।
8. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप अक्षयनिधि तथा सुरक्षानिधि नहीं रखी जाती ।

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश किया जाता है कि **दूधनोल टीचर्स ट्रेनिंग कालेज , पो. दूधनोल, जि. ग्वालपाड़ा -783124 (असम)** को बी एड हेतु मान्यता एतद्वारा अस्वीकार की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1409 दिनांक 28.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **स्पोंसर्ड टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, देशबंधु रोड, पो. पुरुलिया -723101 (प. बंगाल)** ने एक वर्षीय **बी एड कोर्स** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि पूर्व क्षेत्रीय समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित दल ने 7.2.2000 को आवेदक संस्था का दौरा किया ।

और जब कि दौरे पर गई टीम की रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्थान ने 19.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्थान की मान्यता निम्न कारणों से अस्वीकार की जाये :

1. 200 की अंतर्ग्रहण क्षमता पर 20 की आवश्यकता में सिर्फ तीन पूर्णकालिक नियमित अध्यापक संस्थान में हैं।
2. तकनीकी सहायक स्टाफ मानदंडों के अनुरूप नहीं है ।
3. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप प्रयोगशाला सज्जित नहीं है ।

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **स्पोंसर्ड टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, देशबंधु रोड, पो. पुरुलिया - 723101 (प. बंगाल)** की **बी एड कोर्स** की मान्यता एतद्वारा अस्वीकार की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1410 दिनांक 28.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **सिलिगुड़ी बी एड कालेज , पो. कदमताला, जि. दार्जलिंग -734433 (प. बंगाल)** ने एक वर्षीय **बी एड कोर्स** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि समिति ने शैक्षिक सत्र 1999-2000 के लिए 120 अंतर्ग्रहण क्षमता हेतु सशर्त मान्यता प्रदान की थी ।

और जब कि जाँच दल की रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री तथा 4.12.99 की अनुपालन रिपोर्ट पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 15.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्था की मान्यता निम्न कारणों से प्रत्याहृत की जाय :

1. 165 की अंतर्ग्रहण क्षमता पर 16 की आवश्यकता में सिर्फ एक पूर्णकालिक नियमित अध्यापक संस्थान में है ।
2. तकनीकी सहायक स्टाफ नहीं है ।

अब, अत:, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **सिलिगुड़ी बी एड कालेज , पो. कदमताला, जि. दार्जलिंग -734433 (प. बंगाल)** की **बी एड कोर्स** की मान्यता एतद्वारा प्रत्याहृत की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1411 दिनांक 28.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्थाआनंद चंद्र ट्रेनिंग कालेज, पो./जि. जलपाई गुड़ी -735101 (प. बंगाल) ने एक वर्षीय बी एड कोर्स की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि समिति ने शैक्षिक सत्र 1999-2000 के लिए 122 अंतर्ग्रहण क्षमता हेतु सशर्त मान्यता प्रदान की थी ।

और जब कि दौरे पर गई टीम की रिपोर्ट एवं अनुपालन रिपोर्ट दि. 28.2.2000 तथा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई अन्य सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 22.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्थान को मान्यता निम्न कारणों से प्रत्याहृत की जाय :

1. प्राचार्य का पद खाली पड़ा है ।
2. 122 अंतर्ग्रहण क्षमता पर 12 की आवश्यकता की जगह संस्थान में सिर्फ 2 पूर्णकालिक नियमित अध्यापक है ।

अब ,अत:, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **आनंद चंद्र ट्रेनिंग कालेज, पो./जि. जलपाई गुड़ी - 735101 (प. बंगाल)** की **बी एड कोर्स** की मान्यता एतद्वारा प्रत्याहृत की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1412 दिनांक 28.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **डिस्टेंस एजूकेशन सेंटर, ब्रह्मपुर युनिवर्सिटी, भंज बिहार, ब्रह्मपुर ,जिला गंजाम 760007 (ओड़िशा)** ने एक वर्षीय **एम एड कोर्स (डिस्टेंस एजूकेशन मोड)** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि पूर्व क्षेत्रीय समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित दल ने 24.3.2000 को आवेदक संस्था का दौरा किया ।

और जब कि दल की रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 4.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 25.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि संस्था की मान्यता निम्न कारणों से अस्वीकार कर दी जाय :

1. विश्वविद्यालय केंद्र में 5 पूर्णकालिक अध्यापकों की जगह कोई नियमित अध्यापक इस कोर्स के लिए नहीं है ।
2. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप कोई तकनीकी स्टाफ नहीं ।
3. एम एड कोर्स हेतु विश्वविद्यालय में कोई अलग से आवास नहीं है ।
4. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप कोई सामग्री निर्माण केंद्र नहीं है ।
5. संस्थान इस कोर्स से 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष लाभ कमाती है , इस प्रकार इसे व्यावसायिक धारा में चला रही है ।
6. एनसीटीई द्वारा निर्धारित प्रवेश आधार को पालन नहीं किया जाता ।

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **डिस्टेंस एजूकेशन सेंटर, ब्रह्मपुर युनिवर्सिटी, भंज बिहार, ब्रह्मपुर , जिला गंजाम -760007 (ओड़िशा)** की **एम एड (डिस्टेंस एजूकेशन पद्धति) कोर्स** की मान्यता एतद्वारा अस्वीकार की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1413 दिनांक 29.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **आर. एम. डेका इंस्टीच्यूट आफ एजूकेशन, चेनीकुटी, गुवाहाटी,- 781003 (असम)** ने एक वर्षीय **बी एड कोर्स** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि समिति ने शैक्षिक सत्र 1999-2000 के लिए 60 अंतर्ग्रहण क्षमता हेतु तदर्थ मान्यता आदेश दि. 18.2.99 के अंतर्गत प्रदान की थी ।

और जब कि पूर्व क्षेत्रीय समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित दल ने 16.12.99 को आवेदक संस्था का दौरा किया ।

और जब कि दल की रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर विचार कर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 22.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर यह निर्णय लिया कि संस्थान की मान्यता निम्न कारणों से प्रत्याहृत की जाय :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप नियमित पारी में 6 घंटे के बजाय 2.15 से. 7.15 सायं संस्थान कार्य करता है ।
2. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप कोई प्रयोगशाला नहीं ।
3. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप 1500 की बजाय लाइब्रेरी में सिर्फ 850 पुस्तकें ही हैं ।
4. कामनरूम, हास्टल आदि की सुविधा शिक्षकों और छात्रों हेतु नहीं है ।
5. शैक्षिक स्टाफ में 5 शिक्षकों के पास शिक्षा में उपाध्युत्तर डिग्री नहीं है, अत: एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्य नहीं हैं ।
6. शिक्षकों को एनसीटीई द्वारा संस्तुत यूजीसी/ राज्य सरकार वेतमानों के विरुद्ध 1500/रु. समेकित प्रतिमाह वेतन दिया जाता है ।
7. संस्था में एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप अक्षयनिधि अथवा सुरक्षानिधि नहीं है ।

अब, अत:, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **आर. एम. डेका इंस्टीच्यूट आफ एजूकेशन, चेनीकुटी, गुवाहाटी, (असम)** की बी एड हेतु मान्यता एतद्वारा प्रत्याहृत की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1414 दिनांक 28.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **झाड़ग्राम गवर्नमेंट पी टी टी आई, पो. झाड़ग्राम, जि. मिदनापुर -721507 (प. बंगाल)** ने एक वर्षीय प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि समिति ने शैक्षिक सत्र 1999-2000 के लिए 60 अंतर्ग्रहण क्षमता हेतु तदर्थ मान्यता प्रदान की थी ।

और जब कि 9.10.1999 की अनुपालन रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 की क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 11.5.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्थान की मान्यता निम्न कारणों से प्रत्याहृत की जाये :

1. संस्थान में 50 की अंतर्ग्रहण क्षमता हेतु 4 की जगह सिर्फ दो पूर्ण कालिक शिक्षक हैं ।
2. भवन एनसीटीई मानदंडों के अनुसार नहीं है ।
3. लाइब्रेरी एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप समृद्ध नहीं है ।
4. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला समृद्ध नहीं है ।
5. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप तकनीकी सहायक स्टाफ उपलब्ध नहीं है ।

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **झाड़ग्राम गवर्नमेंट पी टी टी आई, पो. झाड़ग्राम, जि. मिदनापुर -721507 (प. बंगाल)** की प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की मान्यता एतद्वारा प्रत्याहृत की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

6/12

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1419 दिनाङ्क 29.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **नवोदय इंस्टीच्यूट आफ एजूकेशन, लास्टगेट, दिसपुर, पो. असम सचिवालय, गुवाहाटी, जि. कामरूप -781006 (असम)** ने एक वर्षीय **बी एड कोर्स** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि पूर्व क्षेत्रीय समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित जाँच दल ने 10.12.99 को आवेदक संस्था का दौरा किया ।

और जब कि जाँच दल की रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 4.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 4.4.2000 की नोटिस का उत्तर नहीं दिया।

और जब कि संस्था से 4.4.2000 की नोटिस का उत्तर नहीं मिला । उपलब्ध प्रलेखों पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्थान की मान्यता निम्न कारणों से अस्वीकार की जाय :

1. संस्था से 4.4.2000 के नोटिस का कोई उत्तर नहीं मिला
2. तीन शैक्षिक स्टाफ उपाध्युत्तर डिग्री न होने के कारण एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्य नहीं हैं ।
3. शिक्षकों को एनसीटीई द्वारा संस्तुत यूजीसी/ राज्य सरकार वेतमानों के विरुद्ध 1500/रु.प्रतिमाह समेकित वेतन दिया जाता है ।
4. संस्था का अपना भवन नहीं है और यह उच्चविद्यालय में चलती है ।
5. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप नियमित पारी में 6 घंटे के बजाय संस्था सिर्फ 5 घंटे सायं पारी में कार्य करती है ।
6. कक्षाओं में फर्नीचर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप उपलब्ध नहीं है ।
7. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप 1500 की बजाय लाइब्रेरी में सिर्फ 502 पुस्तकें ही हैं ।
8. कंप्यूटर, मनोविज्ञान एवं विज्ञान प्रयोगों हेतु कोई बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला नहीं है ।
9. संस्था में तकनीकी सहायक स्टाफ नहीं है ।
10. संस्था में एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप कोई अक्षयनिधि एवं सुरक्षानिधि नहीं है ।

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **नवोदय इंस्टीच्यूट आफ एजूकेशन, लास्टगेट, दिसपुर, पो. असम सचिवालय, गुवाहाटी, जि. कामरूप -781006 (असम)** की बी एड हेतु मान्यता एतद्वारा अस्वीकार की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

11/12

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1420 दिनाङ्क 29.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **दक्षिण गुवाहाटी बी एड कालेज, अंबारी, फाटासिल, गुवाहाटी, जि. कामरूप - 781025 (असम)** ने एक वर्षीय **बी एड कोर्स** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि पूर्व क्षेत्रीय समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित जाँच दल ने 11.12.99 को आवेदक संस्था का दौरा किया ।

और जब कि जाँच दल की रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 2.5.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्था की मान्यता निम्न कारणों से मान्यता अस्वीकार किया जाय :

1. कोई अध्यापक एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न नहीं ।
2. शिक्षकों को एनसीटीई द्वारा संस्तुत यूजीसी/ राज्य सरकार वेतमानों के विरुद्ध 2200/रु. समेकित वेतन प्रतिमाह दिया जाता है ।
3. संस्थान का अपना भवन नहीं है । यह प्राथमिक विद्यालय में चलता है ।
4. संस्थान एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप 6 घंटे नियमित पारी के बजाय सांयकाल 3 घंटे 45 मिनट कार्य करती है ।
5. कक्षाओं में फर्नीचर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप उपलब्ध नहीं है ।
6. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप 1500 की बजाय लाइब्रेरी में सिर्फ 471 पुस्तकें ही हैं ।
7. पुस्तकालय में शैक्षिक जर्नल नहीं मंगाये जाते ।
8. कंप्यूटर, मनोविज्ञान एवं विज्ञान प्रयोगों हेतु कोई बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला नहीं है ।
9. संस्थान में कामनरूम, हास्टल आदि मूलभूत सुविधायें नहीं है ।
10. संस्थान में तकनीकी सहायक स्टाफ नहीं है ।
11. संस्थान में एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप 5लाख की अक्षयनिधि के स्थान पर कोई अक्षयनिधि नहीं है ।

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **दक्षिण गुवाहाटी बी एड कालेज, अंबारी, फाटासिल, गुवाहाटी, जि. कामरूप -781025 (असम)** की बी एड हेतु मान्यता एतद्वारा अस्वीकार की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1431 दिनांक 29.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **राजधानी कालेज आफ एजूकेशन, दिसपुर, बशिष्ठ रोड, बेल्टोला, कामरूप - 781028 (असम)** ने एक वर्षीय **बी एड पाठ्यक्रम** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि पूर्व क्षेत्रीय समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित दल ने 7.12.99 को आवेदक संस्था का दौरा किया ।

और जब कि क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित जाँच दल की रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 4.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 20.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्थान की मान्यता निम्न कारणों से अस्वीकार किया जाय :

1. यद्यपि 17.8.95 के बाद नियुक्त , एक को छोड़ कर कोई अध्यापक एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न नहीं ।
2. शिक्षकों को एनसीटीई द्वारा संस्तुत यूजीसी/ राज्य सरकार वेतमानों के विरुद्ध 1200/रु. माह समेकित वेतन दिया जाता है ।
3. कालेज एक सेकेंडरी स्कूल के भवन में कार्य कर रहा है ।
4. कालेज का कार्य 4 से 7.15 बजे सांय अर्थात् 3 घंटे 15 है मिनट जब कि मानदंड 6 घंटे का है ।
5. कंप्यूटर, मनोविज्ञान एवं विज्ञान प्रयोगों हेतु कोई बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला नहीं है ।
6. कक्षाओं में फर्नीचर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप उपलब्ध नहीं है ।
7. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप 1500 की बजाय लाइब्रेरी में सिर्फ 300 पुस्तकें ही हैं ।
8. संस्था में कोई तकनीकी सहायक स्टाफ नहीं है ।

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **राजधानी कालेज आफ एजूकेशन, दिसपुर, बशिष्ठ रोड, बेल्टोला, कामरूप -781028 (असम)** की बी एड हेतु मान्यता एतद्वारा अस्वीकार की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1433 दिनांक 29.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **नेशनल बी एड कालेज, बिहाइंड राजधानी नर्सरी, आर जी बरुवा रोड, पो. दिसपुर, गुवाहाटी जि. कामरुप -781005 (असम)** ने एक वर्षीय **बी एड कोर्स** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि पूर्व क्षेत्रीय समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित दल ने 9.12.99 को आवेदक संस्था का दौरा किया ।

और जब कि जाँच दल की रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 25.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्था की मान्यता निम्न कारणों से अस्वीकार की जाये :

1. यद्यपि प्राचार्य की नियुक्त 17.8.95 के बाद हुई , पर वे एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न नहीं हैं ।
2. प्राचार्य अधिक उम्र के हैं ।
3. इस संस्था में कोई पूर्णकालिक नियमित शिक्षक नहीं है ।
4. संस्थान का अपना कोई भवन नहीं है ।
5. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप नियमित पारी में छः घंटों की बजाय संध्या में संस्थान सिर्फ दो घंटे पचास मिनट कार्य करता है ।
6. कक्षाओं में फर्नीचर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप उपलब्ध नहीं है ।
7. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप 1500 की बजाय लाइब्रेरी में सिर्फ 706 पुस्तकें ही हैं ।
8. कंप्यूटर, मनोविज्ञान एवं विज्ञान प्रयोगों हेतु कोई बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला नहीं है ।
9. संस्था में कोई तकनीकी सहायक स्टाफ नहीं है ।
10. संस्था में एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप कोई सुरक्षानिधि या अक्षयनिधि नहीं है ।

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **नेशनल बी एड कालेज, बिहाइंड राजधानी नर्सरी, आर जी बरुवा रोड, पो. दिसपुर, गुवाहाटी जि. कामरुप -781005 (असम)** की बी एड कोर्स की मान्यता एतद्वारा अस्वीकार की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1438 दिनांक 29/30.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **मिलिया सर सैयद प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, रामबाग, खजांची हाट पूर्णिया - 854301 (बिहार)** ने दो वर्षीय प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि समिति ने शैक्षिक सत्र 1999-2000 के लिए 80 अंतर्ग्रहण क्षमता हेतु तदर्थ मान्यता आदेश दि. 15.9.99 के अंतर्गत प्रदान की थी ।

और जब कि 30.9.99 एवं 10.10.99 की अनुपालन रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 18.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्थान की मान्यता निम्न कारणों से प्रत्याहृत की जाय :

1. कोई भी शैक्षिक स्टाफ उपाध्युत्तर योग्यता संपन्न नहीं है । अत: एनसीटीई मानदंडों के अनुसार योग्यतापूर्ण नहीं है ।
2. कालेज भवन एवं शैक्षिक क्षेत्र एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं ।
3. बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं ।
4. पाठदान एवं पर्यवेक्षित प्रायोगिक पाठ एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप नहीं है
5. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप 5 लाख रुपयों की जगह संस्था में कोई अक्षयनिधि राशि नहीं है ।

अब, अत:, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **मिलिया सर सैयद प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, रामबाग, खजांची हाट पूर्णिया -854301 (बिहार)** की प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की मान्यता प्रत्याहृत की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी /1439 दिनांक 29/30.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **बड़नगर बी एड कालेज, सरभोग, बाड़पेटा - 781317(असम)** ने एक वर्षीय **बी एड कोर्स** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि पूर्व क्षेत्रीय समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित दल ने आवेदक संस्था का14.12.99 को दौरा किया ।

और जब कि जाँच दल की रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 27.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति ने 16/17.6.2000 को विचार कर यह निर्णय लिया कि संस्थान की मान्यता निम्न कारणों से अस्वीकार की जाय :

1. प्राचार्य अधिकायु हैं और एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न नहीं हैं ।
2. इतिहास के अलावा पद्धति विषयों के अध्यापक मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न नहीं हैं ।
3. कंप्यूटर, मनोविज्ञान और विज्ञान विषयों के लिए कोई बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला नहीं है ।
4. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप यूजीसी/ राज्य सरकार वेतनमानों के विपरीत एक हजार रुपये माह समेकित वेतन अध्यापकों को दिया जाता है ।
5. संस्था में मूलभूत सुविधायें जैसे कामन रूम, पेयजल आदि नहीं हैं ।
6. कक्षाओं में एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप कोई फर्नीचर नहीं है ।
7. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप 1500 की जगह लाइब्रेरी में सिर्फ 376 पुस्तकें हैं ।
8. संस्था में कोई खेलकूद सुविधा नहीं है ।
9. संस्था में तकनीकी सहायक स्टाफ नहीं हैं ।
10. संस्थान में एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप अक्षयनिधि के रूप में 5 लाख रुपये के बजाय सिर्फ दो लाख रुपये हैं ।

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **बड़नगर बी एड कालेज, सरभोग, बाड़पेटा - 781317(असम)** की बी एड कोर्स हेतु मान्यता अस्वीकार की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी /1440 दिनांक 29/30.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **गांधीग्राम गवर्नमेंट प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, पो. राजहाट, जि. हुगली (प. बंगाल)** ने एक वर्षीय **प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि पूर्व क्षेत्रीय समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित दल ने 4.2.2000 को आवेदक संस्था का दौरा किया ।

और जब कि 23/24.3.2000 को दल की रिपोर्ट तथा संस्था द्वारा उपलब्ध करायी अन्य संबंद्ध सामग्री पर क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत दिया कि आवेदक संस्था आवश्यक अर्हतायें पूरी नहीं करती और आवेदक संस्था को एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के अधीन 3.4.2000 को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्थान को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि 4.4.2000 की नोटिस का संस्था से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । समिति ने 16/17.6.2000 को उपलब्ध सामग्री पर विचार कर यह निर्णय लिया कि संस्था की निम्न कारणों से मान्यता अस्वीकार कर दी जाय :

1. 3.4.2000 के नोटिस का संस्थान से कोई उत्तर नहीं मिला ।
2. प्राचार्य का पद रिक्त पड़ा है ।
3. 80 अंतर्ग्रहण क्षमता पर 7 की जगह संस्थान में सिर्फ तीन शिक्षक हैं ।
4. बहुउद्देश्यीय शिक्षा प्रयोगशाला एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप संपन्न नहीं है ।
5. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप फर्नीचर एवं अन्य संयंत्र नहीं है

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **गांधीग्राम गवर्नमेंट प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, पो. राजहाट, जि. हुगली (प. बंगाल)** को प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की मान्यता एतद्वारा अस्वीकार की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी /1441 दिनाङ्क 29/30.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **गवर्नमेंट प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग इनस्टीच्यूट, पो. कलिम्पोंग, जि. दार्जिलिंग - 734301 (प. बंगाल)** ने एक वर्षीय **प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि समिति ने शैक्षिक सत्र 1999-2000 के लिए 50 अंतर्ग्रहण क्षमता हेतु तदर्थ मंजूरी आदेश दि. 16/18.6.99 के अंतर्गत प्रदान की थी ।

और जब कि 5.10.2000 की अनुपालन रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर यह मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 15.4.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्था की मान्यता निम्न कारणों से प्रत्याहृत की जाये :

1. संस्थान में 50 की अंतर्ग्रहण क्षमता पर चार की जगह सिर्फ दो पूर्णकालिक शिक्षक हैं ।
2. पुस्तकालय एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप सज्जित नहीं है ।
3. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला समृद्ध नहीं है ।
4. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप तकनीकी सहायक स्टाफ नहीं हैं ।

अब, अतः, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग इनस्टीच्यूट, पो. कलिम्पोंग, जि. दार्जिलिंग - 734301 (प. बंगाल)** की प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की मान्यता एतद्वारा प्रत्याहृत की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी /1442 दिनांक 29/30.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **गवर्नमेंट सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल फार वीमेन, एटेच्ड टू रेवेंशा गर्ल्स स्कूल, चौधरी बजार, कटक - 753001 (ओड़ीशा)** ने दो वर्षीय **टीचर्स सर्टिफिकेट कोर्स** की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि समिति ने शैक्षिक सत्र 1999-2000 के लिए 50 अंतर्ग्रहण क्षमता हेतु तदर्थ मंजूरी आदेश दि. 23.2.99 के अंतर्गत प्रदान की थी ।

और जब कि 8.3.99 की अनुपालन रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती । और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि 4.4.2000 के नोटिस का संस्था से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ । कमिटि ने 16/17.6.2000 को रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया एवं निर्णय लिया कि निम्नकारणों से संस्था की मान्यता प्रत्याहृत की जाये :

1. 50 की अंतर्ग्रहणक्षमता के लिए 9 शिक्षकों की जगह हेडमास्टर सहित सिर्फ 3 शिक्षक हैं ।
2. लाइब्रेरी, संयत्र एवं अन्य शैक्षिक सहायक सामग्री एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप नहीं है ।
3. तकनीकी स्टाफ एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप नहीं है ।
4. बहुउद्देश्यीय शिक्षा प्रयोगशाला एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप नहीं है ।

अब, अतः, यह एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि **गवर्नमेंट सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल फार वीमेन, एटेच्ड टू रेवेंशा गर्ल्स स्कूल, चौधरी बजार, कटक - 753001 (ओड़ीशा)** की एतद्वारा मान्यता प्रत्याहृत की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

एफ. 7- 14/2000 - ई आर सी/1444 दिनांक 29/30.6.2000

आदेश

जब कि आवेदक संस्था **आर सी मिशन प्रायमरी टीचर्स एजूकेशन कालेज, पो. कानबीर, नोआटोली, जि. गुमला, 835229(बिहार)** ने दो वर्षीय प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत ईआरसी, एनसीटीई को आवेदन किया था ।

और जब कि समिति ने शैक्षिक सत्र 1998-1999 के लिए 70 अंतर्ग्रहण क्षमता हेतु तदर्थ मंजूरी आदेश दि. 6.3.98 के अंतर्गत प्रदान कीं थी ।

और जब कि संस्थान ने 1999-2000 के सत्र में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया ।

और जब कि 19.2.2000 की अनुपालन रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा प्रदत्त अन्य संबद्ध सामग्री पर 23-24 मार्च 2000 को क्षेत्रीय समिति ने विचार कर मत व्यक्त किया कि आवेदक संस्था आवश्यकताएँ पूरी नहीं करती और एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत 3.4.2000 को आवेदक संस्था को नोटिस जारी की गई ताकि इस संदर्भ में आवेदक संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रदान करने का अवसर दिया जा सके ।

और जब कि आवेदक संस्था ने 11.5.2000 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । संस्था का उक्त अभ्यावेदन तथा प्रदत्त अन्य प्रलेख पर क्षेत्रीय समिति 16/17.6.2000 को विचार कर इस निर्णय पर पहुँची कि संस्थान की मान्यता निम्न कारणों से प्रत्याहृत की जाये :

1. संस्थान में 50 की अंतर्ग्रहण क्षमता के लिए आवश्यक 8 की जगह सिर्फ चार शिक्षक हैं ।
2. कोई भी शैक्षिक स्टाफ उपाध्युत्तर योग्यता संपन्न नहीं है । अत: एनसीटीई मानदंडों के अनुसार योग्यता संपन्न नहीं है ।
3. शैक्षिक स्टाफ को राज्य वेतनमान नहीं दिये जाते ।
4. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला समृद्ध नहीं है ।
5. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप तकनीकी सहायक स्टाफ उपलब्ध नहीं है।
6. संस्थान ने 5 लाख रुपये अक्षय निधि में होने का कोई प्रमाण नहीं दिया ।

अब, अत:, एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि **आर सी मिशन प्रायमरी टीचर्स एजूकेशन कालेज, पो. कोनबिर, नोआटोली, जि. गुमला - 835229 (बिहार)** को प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की मान्यता एतद्वारा प्रत्याहृत की जाती है ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये ।

क्षेत्रीय निदेशक

7- 14/2000- ई आर सी/1490 दिनाङ्क 6.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **कालेज आफ टीचर एजूकेशन, महात्मा गांधी रोड,अपर खटला, एजल (मिजोरम)** को **एक वर्षीय बी-एड** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 120(एक सौ बीस) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करें :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 12 शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य सहायक स्टाफ के साथ यूजीसी/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्थान कार्य करे ।
2. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
3. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
4. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
5. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
6. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
7. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
8. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 7 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **कालेज आफ टीचर एजूकेशन, महात्मा गांधी रोड,अपर खटला, एजल (मिजोरम)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

7- 14/2000- ई आर सी/1491 दिनांक 6.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **डिपार्टमेंट आफ एजूकेशन, युनिवर्सिटी आफ कल्याणी, कल्याणी, नादिया (प. बंगाल)** को एक वर्षीय **बी-एड** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 80(अस्सी) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 8 शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य सहायक स्टाफ के साथ यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्थान कार्य करे ।
2. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
3. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
4. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
5. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
6. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
7. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
8. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 7 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **डिपार्टमेंट आफ एजूकेशन, युनिवर्सिटी आफ कल्याणी, कल्याणी, नादिया (प. बंगाल)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1564 दिनांक 19.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, पो. मालदा (प. बंगाल)** को एक वर्षीय **बी एड** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001 से 80(अस्सी) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 8 शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य सहायक स्टाफ के साथ यूजीसी/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था कार्य करे ।
2. 7 नियुक्त शिक्षक जो एनसीटीई मानदंड पूरे नहीं करते, वे निर्धारित मानदंडों के अनुरूप योग्यता इस आदेश के निर्गत होने के दो वर्षों में आहरण कर लेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, पो. मालदा (प. बंगाल)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1565 दिनांक 19.7. 2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **बाणीपुर गवर्नमेंट प्रामयरी टीचर्स ट्रेनिंग इनस्टीच्यूट यूनीट -II, बाणीपुर नार्थ - 24 परगना, (प. बंगाल)** को एक वर्षीय **प्राथमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स** हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001 से 50 (पचास) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न चार शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य सहायक स्टाफ के साथ यूजीसी/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था कार्य करे ।
2. कम से कम 2 नियुक्त अध्यापक दो वर्ष में उपाध्युत्तर डिग्री आहरण करेंगे या एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप अध्यापकों से बदल दिये जायेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **बाणीपुर गवर्नमेंट प्रामयरी टीचर्स ट्रेनिंग इनस्टीच्यूट यूनीट -II, बाणीपुर नार्थ - 24 परगना, (प. बंगाल)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्तनिर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं, क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1566 दिनांक 19.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **बेलाकोबा गवर्नमेंट प्रामयरी टीचर्स ट्रेनिंग इनस्टीच्यूट, प्रसन्ननगर, जलपाइगुड़ी (प. बंगाल)**को एक वर्षीय **प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 50(पचास) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न एक अतिरिक्त शैक्षिक स्टाफ एक वर्ष में यूजीसी/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्थान नियुक्त कर ले ।
2. आवश्यक योग्यता रहित सभी शिक्षक दो वर्ष में योग्यता आहरण कंर लेंगे अथवा एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप उम्मीदवारों से बदल दिये जायेंगे ।
3. एनसोटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9 संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **बेलाकोबा गवर्नमेंट प्रामयरी टीचर्स ट्रेनिंग इनस्टीच्यूट, प्रसन्ननगर, जलपाइगुड़ी (प. बंगाल)**एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1569 दिनांक 19.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **धर्मादा गवर्नमेंट प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, धर्मादा, नदिया (प. बंगाल)**को एक वर्षीय **प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 50(पचास)छात्र अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न एक अतिरिक्त शैक्षिक स्टाफ यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था नियुक्त कर ले ।
2. आवश्यक योग्यता रहित सभी शिक्षक दो वर्षों में योग्यता आहरण कर लेंगे अथवा एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप उम्मीदवारों से बदल दिये जायेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **धर्मादा गवर्नमेंट प्रायमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, धर्मादा, नदिया (प. बंगाल)**एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1570 दिनाङ्क 19.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **गवर्नमेंट कालेज आफ एजूकेशन, बर्दवान, काजिरहाट,पो. लाकुरडी, जि. बर्दवान -713102(प. बंगाल)**को एक वर्षीय बी एड पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 65(पैंसठ) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 7 शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य सहायक स्टाफ के साथ यूजीसी/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्थान कार्य करे ।
2. प्राचार्य का पद एक वर्ष में एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न उम्मीदवार से पूर्ण किया जायेगा ।
3. उपाध्युत्तर योग्यता रहित तीन शिक्षक दो वर्ष में योग्यता आहरण कर लेंगे अथवा एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप उम्मीदवारों से बदल दिये जायेंगे ।
4. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
5. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
6. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
7. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
8. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
9. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
10. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 9 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **गवर्नमेंट कालेज आफ एजूकेशन, बर्दवान, काजिरहाट,पो. लाकुरडी, जि. बर्दवान -713102 (प. बंगाल)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1571 दिनांक 19/20.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **गवर्नमेंट कालेज आफ एजूकेशन, बानीपुर, चौबीस परगना (नार्थ) (प. बंगाल)** को एक वर्षीय **बी एड** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक सत्र 2000-2001 से 80(अस्सी) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 8 शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य सहायक स्टाफ के साथ यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था काम करे ।
2. बिना उपाध्युत्तर योग्यता वाले सात शिक्षक दो वर्ष में योग्यता आहरण कर लेंगे या एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता वाले शिक्षकों से बदल दिये जायेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **गवर्नमेंट कालेज आफ एजूकेशन, बानीपुर, चौबीस परगना (नार्थ) (प. बंगाल)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

6/12

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1572 दिनांक 19/20.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **डायट , चातलांग, राम्हलन, ऐजल - 796012(मिजोरम)**को एक वर्षीय **डिप्लोमा इन टीचर एजूकेशन** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 120(एक सौ बीस)वार्षिक अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 10 शैक्षिक स्टाफ के साथ एवं अन्य सहायक स्टाफ यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था कार्य करे ।
2. जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षक एनसीटीई मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे सभी इस आदेश के निर्गत होने के दो वर्षों के अन्दर योग्यता आहरण कर लें ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हों ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **डायट , चातलांग, राम्हलन, ऐजल - 796012(मिजोरम)**एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1573 दिनांक 19/20.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **डायट, लंगलेई, मिजोरम -796701 (मिजोरम)** को एक वर्षीय **डिप्लोमा इन टीचर एजूकेशन** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक एक वर्षीय 2000-2001से 100(सौ) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 8 शैक्षिक स्टाफ एवं सहायक स्टाफ के साथ यूजीसी/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था कार्य करे ।
2. जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षक एनसीटीई मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे सभी इस आदेश के निर्गत होने के दो वर्षों के अन्दर योग्यता आहरण कर लें ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **डायट, लंगलेई, मिजोरम -796701 (मिजोरम)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1574 दिनांक 19/20.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **गावर्नमेंट बीटी कालेज , ग्वालपाड़ा, बालादमारी , ग्वालपाड़ा - 783121(असम)** को एक वर्षीय **बी एड** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 70(सत्तर) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न सात शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य सहायक स्टाफ के साथ यूजीसी/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्थान कार्य करे ।
2. प्राचार्य पद यह आदेश निर्गत होने के एक वर्ष के अन्दर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न व्यक्ति से पूर्ण करे ।
3. उपाध्युत्तर योग्यता रहित शिक्षक दो वर्ष में आहरण करेंगे अथवा एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न शिक्षकों से बदल देंगे ।
4. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
5. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
6. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
7. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
8. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
9. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
10. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 9 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **गावर्नमेंट बीटी कालेज , ग्वालपाड़ा, बालादमारी , ग्वालपाड़ा - 783121(असम)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1575 दिनांक 19/20. 7. 2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **डायट, रेमुणा, खीरचोरा गोपीनाथ, बालेश्वर - 756018 (ओड़िशा)** को दो वर्षीय **टीचर्स सर्टिफिकेट** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001 से 50(पचास) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न दो अतिरिक्त शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति एक वर्ष में यूजीसी/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था कर ले ।
2. जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षक एनसीटीई मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे सभी इस आदेश के निर्गत होने के दो वर्षों के अन्दर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता आहरण कर लेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **डायट, रेमुणा, खीरचोरा गोपीनाथ, बालेश्वर - 756018 (ओड़िशा)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1577 दिनांक 20.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज , ऐंठापाली, बूढ़ा राजा, संबलपुर 768004(ओड़िशा)** को एक वर्षीय **हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 50(पचास) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न एक अतिरिक्त शैक्षिक स्टाफ एक वर्ष में यूजीसी/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था नियुक्त कर ले ।
2. जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षक एनसीटीई मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे सभी इस आदेश के निर्गत होने के दो वर्षों के अन्दर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता आहरण कर लेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज , ऐंठापाली, बूढ़ा राजा, संबलपुर 768004(ओड़िशा)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1578 दिनाङ्क 19/20.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षापरिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट ,दिवान बजार, मायका बिल्डिंग, कटक - 753001(ओड़िशा)** को एक वर्षीय **हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 50(पचास) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 4 शैक्षिक स्टाफ एवं सहायक स्टाफ के साथ यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्थान कार्य करेगा ।
2. जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षक एनसीटीई मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे सभी इस आदेश के निर्गत होने के दो वर्षों में अन्दर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता आहरण कर लेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट ,दिवान बजार, मायका बिल्डिंग, कटक - 753001(ओड़िशा)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 14/2000/1579 दिनाङ्क 19/20.7.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज , 28, लूईस रोड, जयदेवनगर , भुवनेश्वर 751002(ओड़िशा)** को एक वर्षीय **हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 50(पचास) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न एक अतिरिक्त शैक्षिक स्टाफ एवं सहायक स्टाफ की नियुक्ति एक वर्ष में यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था कर ले ।
2. जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षक एनसीटीई मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे सभी इस आदेश निर्गत होने के के दो वर्षों में एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता आहरण कर लेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्था करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्थान, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज , 28, लूईस रोड जयदेवनगर , भुवनेश्वर 751002(ओड़िशा)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों या शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 15/2000/1970 दिनांक 13.10.2000

आदेश

एनसीटीई रेगुलेशन ,पारा 4 (b) दिनांक 29.12.1995में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **टैगोर गवर्नमेंट कालेज आफ एजूकेशन , मिडिल पॉयंट , पोर्टब्लेयर, ए एंड एन आयलेंड्स - 744101** को एक वर्षीय **बी-एड** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001 के लिए 60 से 80 अंतर्ग्रहण क्षमता वृद्धि को अनुमति प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 8 शैक्षिक स्टाफ एवं सहायक स्टाफ को आदेश निर्गत होने के दो वर्षों के अन्दर यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था नियुक्त कर ले ।
2. जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षक एनसीटीई मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे सभी इस आदेश के दो वर्ष में एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता आहरण कर लेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्था एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 7 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **टैगोर गवर्नमेंट कालेज आफ एजूकेशन , मिडिल पॉयंट , पोर्टब्लेयर, ए एंड एन आयलेंड्स - 744101** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये निर्देशों या उपरोक्त शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत यह अनुमति प्रत्याहृत कर सकती है ।

संस्था 31.12.2000 से पूर्व 2001-2002 के लिए 80 अंतर्ग्रहण जारी रखने के लिए अनुपालन रिपोर्ट के साथ नया आवेदन करेगा अन्यथा अंतर्ग्रहण क्षमता 2001-2002 के लिए 60 में सीमित रहेगी ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 15/2000/1971 दिनांक 13.10.2000

आदेश

एनसीटीई रेगुलेशन ,पारा 4 (b) दिनांक 29.12.1995 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **डी एम कालेज आफ टीचर एजूकेशन, इंफाल मणिपुर - 795001** को एक वर्षीय **बी-एड** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001(विश्वविद्यालय परीक्षा वर्ष 1999-2000) के लिऐ 180 से 240 अंतर्ग्रहण क्षमता वृद्धि की अनुमति प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 24 शैक्षिक स्टाफ एवं पूर्ण सहायक स्टाफ की नियुक्ति 31.10.2000 तक यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था कर ले ।
2. जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षक एनसीटीई मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे सभी इस आदेश के दो वर्ष में एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता आहरण कर लेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दे जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के सहबंधक अनुरूप एवं विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्था एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 7 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **डी एम कालेज आफ टीचर एजूकेशन, इंफाल मणिपुर - 795001** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये निर्देशों या उपरोक्त शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत यह अनुमति प्रत्याहृत कर सकती है ।

संस्थान 31.12.2000 से पूर्व 2001-2002 के लिए 240 अंतर्ग्रहण जारी रखने के लिए ईआरसी , एनसीटीई को पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट के साथ नया आवेदन करेगा अन्यथा अंतर्ग्रहण क्षमता 2001-2002 के लिए 180 में सीमित रहेगी ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 15/2000/1977 दिनाङ्क 16.10.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **कानन देवी मेमोरियल कालेज आफ एजूकेशन , पांगेई, इंफाल, मणिपुर** को एक वर्षीय **बी एड** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001 से 100(एक सौ)छात्र अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 10 शैक्षिक स्टाफ एवं सहायक स्टाफ यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था नियुक्त कर ले ।
2. जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षक एनसीटीई मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे सभी इस आदेश के दो वर्ष में मानदंडों के अनुरूप योग्यता आहरण कर लेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्था करेगा ।
4. संस्था प्रतिदिन छः घंटे कार्य करेगा एवं सत्र 2001-2002 के प्रारंभ से दिन की पारी में कार्य करेगा ।
5. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दे जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय /राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
6. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
7. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /परीक्षण संस्था की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
8. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
9. संस्था, गैर सहायता प्राप्त होने पर, पांच लाख रुपये अक्षयनिधि में बढ़ाये एवं अन्य रिजर्व निधि स्टाफ के तीन महीने के वेतन के बराबर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
10. संस्था एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा ।.निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 9 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **कानन देवी मेमोरियल कालेज आफ एजूकेशन , पांगेई, इंफाल, मणिपुर** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये निर्देशों या उपरोक्त शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

संस्थान 31.12.2000 तक ईआरसी , एनसीटीई को अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 15/2000/1978 दिनांक 16.10.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **एस पी जी वीमेंस प्रायमरी टीचर्स एजूकेशन कालेज, चर्च रोड, रांची, बिहार** को दो वर्षीय **पीटीटीसी** पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001से 50(पचास) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 8 शैक्षिक स्टाफ एवं सहायक स्टाफ यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य, द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था नियुक्त कर ले ।
2. जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षक एनसीटीई मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे सभी इस आदेश के दो वर्ष में मानदंडों के अनुरूप योग्यता आहरण कर लेंगे ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमो में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी बोर्ड /राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक बोर्ड/ राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक बोर्ड /परीक्षण संस्था की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्था, गैर सहायता प्राप्त होने पर, पांच लाख रुपये अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि स्टाफ के तीन महीने के वेतन के बराबर एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप वृद्धि करेगा ।
9. संस्थान एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **एस पी जी वीमेंस प्रायमरी टीचर्स एजूकेशन कालेज, चर्च रोड, रांची, बिहार** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये उपरोक्त शर्तों के खिलाफ करते हैं , क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

संस्था 31.12.2000 तक ईआरसी , एनसीटीई को अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

ई आर सी/7- 15/2000/1987 दिनांक 16/17.10.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम 1993, की धारा 14(3) (a) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व क्षेत्रीय समिति **नेशनल इंस्टीच्यूट आफ टीचर एजूकेशन, खेत्री, कामरूप - 782403(असम)** को एक वर्षीय बी-एड पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक वर्ष 2000-2001 से 60(साठ) अंतर्ग्रहण क्षमता सहित मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा करे :

1. एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप योग्यता संपन्न 6 शैक्षिक स्टाफ एवं सहायक स्टाफ शैक्षिक सत्र 2000-2001 आरंभ होने से पूर्व यूजीसी/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार यथा प्रयुज्य; द्वारा प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप संस्था नियुक्त कर ले ।
2. यदि संस्थान अन्यत्र अस्थायी भवन में है, तो वह अपने स्थायी भवन में एक वर्ष के अंदर स्थानांतरित कर लिया जाय ।
3. एनसीटीई मान दंडों के अनुरूप पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य शिक्षण संबंधी संरचना की सुनिश्चितता संस्थान करेगा ।
4. स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दें जो सहबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संपन्न हो ।
5. छात्रों से ट्यूशन फीस एवं अन्य फीस एनसीटीई नियमों के कार्यक्षम होने तक अनुबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप ली जायेंगी ।
6. प्रयोगशाला कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम प्रदान कोर्स के एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप एवं सहबंधक विश्वविद्यालय /राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए ।
7. प्रायोगिक पाठदान सहित शिक्षण दिवसों की संख्या संबद्ध कोर्स के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिनों से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. संस्था, गैर सहायता प्राप्त होने पर, अक्षयनिधि एवं अन्य रिजर्व निधि एनसीटीई मानदंडों के अनुरूप रखेगा ।
9. संस्था एनसीटीई नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता रहेगा और प्रत्येक शैक्षिक वर्ष अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजता रहेगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अन्यों के साथ ऊपर 1 से 8 तक में सूचित शर्तों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करेगा ।

यदि **नेशनल इंस्टीच्यूट आफ टीचर एजूकेशन, खेत्री, कामरूप - 782403(असम)** एनसीटीई अधिनियम के नियम, व्यवस्थाओं और आदेशों अथवा जारी किये गये निर्देशों या उपरोक्त शर्तों के खिलाफ करते हैं, क्षेत्रीय समिति एनसीटीई अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहृत कर सकती है ।

संस्था 31.12.2000 तक ईआरसी, एनसीटीई को अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा ।

आदेश से
क्षेत्रीय निदेशक

रक्षा मंत्रालय

छावनी मंडल

देहूरोड, दिनांक 3 फरवरी 2001

का. नि. आ. सं. 30/20/आर.टी.--जैसा कि छावनी मंडल ने निम्नलिखित सूची में दिए गए विवरणानुसार वार्षिक कर योग्य मूल्य के आधार पर संशोधित दर से सम्पत्ति कर लागू करने का प्रस्ताव किया था;

जैसा कि प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव छावनी अधिनियम 1924 (1924 की 2) की धारा 255 के साथ पठित धारा 61 के अनुसार आमंत्रित करने हेतु सूचना प्रकाशित की गयी थी;

जैसा कि मंडल ने अपनी 26 दिसम्बर, 2000 की बैठक में प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया;

जैसा कि मंडल ने सम्पत्ति कर के दर संशोधित करने का निर्णय लिया;

अत: छावनी अधिनियम 1924 (1924 की 2) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के का.नि.आ. 332 दिनांक 5 नवम्बर, 1959 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए छावनी मंडल देहूरोड, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, निम्नलिखित सूची में विनिर्दिष्ट दरों से सम्पत्ति कर लागू करता है।

सूची

सम्पत्ति कर वार्षिक कर योग्य मूल्य	संपत्ति कर के दर
रु. 1/- से रु. 999/-	9%
रु. 1000/- से रु. 4999/-	12%
रु. 5000/- से रु. 49999/-	15%
रु. 50000/- से अधिक	18%

सेवक नैयर
छावनी अधिशासि अधिकारी

9—459GI/2000

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
MUMBAI

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act,1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April,1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended November 2000 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs. /Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
9% Relief Bonds, 1999 (Calcutta Circle)					
CA – 1451	Rs. 34,00,000/-	Divyani Sarkar (Minor) Champabati Sarkar(Mother & Natural Guardian)	Interest has been paid upto the half-year ending June 2000	Divyani Sarkar (Minor)	File No. I-2533 General Manager's order dated 22-11-2000 (vide Dy. No. LCO-76/2000-01 dated 22-11-2000).
CA – 1452	Rs. 34,00,000/-	Suhashini Sarkar (Minor) Champabati Sarkar(Mother & Natural Guardian)	- do -	Suhashini Sarkar (Minor)	File No. I-2534 General Manager's order dated 22-11-2000 (vide Dy. No. LCO-75/2000-01 dated 22-11-2000).

N.A. Ahaley
(Smt. N. A. Ahaley)
p. Chief General Manager
27-12-2000

List "A"

CA - 1453	Rs. 34,00,000/-	Neelini Sarkar (Minor) Champabati Sarkar Mother & Natural Guardian)	- do -	Neelini Sarkar (Minor)	File No. I-2535 General Manager's order dated 22-11-2000 (vide Dy. No. LCO-74/2000-01 dated 22-11-2000).
CA-1452	Rs. 7,00,000/-	Sarbani Sarkar and Aveek Kumar Sarkar	Cumulative	Sarbani Sarkar and Aveek Kumar Sarkar	File No. I-2536 General Manager's order dated 22-11-2000 (vide Dy. No. LCO-73/2000-01 dated 22-11-2000).
CA-1495	Rs. 3,10,000/-	- do -	- do -	- do -	- do -
CA-1484	Rs. 4,00,000/-	Pratiti Basu Sarkar & Rakhi Sarkar	Interest has been paid upto the half year ending June 2000	Pratiti Basu Sarkar & Rakhi Sarkar	File No. I-2537 General Manager's order dated 22-11-2000 (vide Dy. No. LCO-77/2000-01 dated 22-11-2000).
10% Relief Bonds, 1995					
CA-8406	Rs. 50,000/-	Utpal Ganguli (expired on 19-9-1999) and Aroti Ghosh	Interest has been paid upto the half year ending June 2000	Aroti Ghosh	File No. I-2540 General Manager's order dated 22-11-2000 (vide Dy. No. LCO-78/2000-01 dated 22-11-2000).
CA-8407	Rs. 50,000/-	- do -	- do -	- do -	- do -
10% Relief Bonds, 1993 (New Delhi Circle)					
DH - 000181	Rs. 75,000/-	Anwar Ullah Khan & Parveen Rasheed	-	Praveen Rasheed	PDO/DT/LN-8/20 dated 17-11-2000

(Smt. N. A. Ahaley)
p. Chief General Manager
27-12-2000

List "B"

No. of Security	Value in Rs. /Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Kanpur Circle 9% Relief Bond 1999 (N.C.)					
KN 000271	Rs. 1,50,000/-	Nitin Sarin (Minor) Davi Sarin (Father)	01.07.99	Davi Sarin (Father & Guardian)	IR 1147/71 dated 02.06.2000
10% Relief Bond 1995 (N.C.)					
KN 001268 to 1273	Rs.1,00,000 (each)	Ajab Kaur and Harnam Singh (E or S)	17.03.98	Harnam Singh & Ajab Kaur	IR 1148/52 dated 02.06.2000
KN 001274 to 1287	Rs.1,00,000 (each)	Ajab Kaur and Harnam Singh (E or S)	17.03.98	Harnam Singh & Ajab Kaur	IR 1148/52 dated 02.06.2000
KN 001505 to 1525	Rs.1,00,000 (each)	Harnam Singh & Ajab Kaur	23.06.98	Harnam Singh & Ajab Kaur	IR 1148/52 dated 02.06.2000
KN 002044 to 2050	Rs.1,00,000 (each)	Harnam Singh & Ajab Kaur	13.11.98	Harnam Singh & Ajab Kaur	IR 1148/52 dated 02.06.2000

N A Ahaley

(Smt. N. A. Ahaley)
p. Chief General Manager
27.12.2000

List "B"

Calcutta Circle					
9% Relief Bonds, 1999 (Cumulative)					
CAC 002343	Rs. 25,000/-	Jyoti Deb and Madhu Bahl Deb	Cumulative	Jyoti Deb and Madhu Bahl Deb	File No.I – 2539 General Manager's Order dated 14.10.2000 vide Dy.no.LCO-47/2000-01 dated 14.10.2000
CAC 002769	Rs. 25,000/-	Jyoti Deb and Madhu Bahl Deb	Cumulative	Jyoti Deb and Madhu Bahl Deb	
CAC 002342	Rs. 25,000/-	Madhu Bahl Deb and Jyoti Deb	Cumulative	Madhu Bahl Deb and Jyoti Deb	
CAC 002768	Rs. 25,000/-	Madhu Bahl Deb and Jyoti Deb	Cumulative	Madhu Bahl Deb and Jyoti Deb	
10% Relief Bonds, 1995					
CA 8351	Rs. 1,00,000/-	Sujas Majumder and Ranja Majumder	Interest has been paid upto the half-year ended 30th June 2000	Sujas Majumder and Ranja Majumder	File No.I-2541 General Manager's Order dated 28.10.2000 vide Dy.No.LCO-59/2000-01 dated 28.10.2000
10% Relief Bonds, 1995 (Non-cumulative) - Ahmedabad - Circle					
AD – 2069	Rs. 2,75,000/-	1. Uday Babubhai Patel & 2. Bharanti Uday Patel	After loss occures i.e. 1-1-2000	3. Uday Babubhai Patel & 4. Bharanti Uday Patel	LN/S/0333 CO Diary No. 118 dated 23-9-2000

N. A. Ahaley
(Smt. N. A. Ahaley)
p. Chief General Manager
27.12.2000

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
MUMBAI

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act,1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April,1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended October 2000 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs. /Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Kanpur Circle 9% Relief Bond 1999 (N.C.)					
KN 000271	Rs. 1,50,000/-	Nitin Sarin (Minor) Davi Sarin (Father)	01.07.99	Davi Sarin (Father & Guardian)	IR 1147/71 dated 02.06.2000
10% Relief Bond 1995 (N.C.)					
KN 001268 to 1273	Rs.1,00,000 (each)	Ajab Kaur and Harnam Singh (E or S)	17.03.98	Harnam Singh & Ajab Kaur	IR 1148/52 dated 02.06.2000
KN 001274 to 1287	Rs.1,00,000 (each)	Ajab Kaur and Harnam Singh (E or S)	17.03.98	Harnam Singh & Ajab Kaur	IR 1148/52 dated 02.06.2000
KN 001505 to 1525	Rs.1,00,000 (each)	Harnam Singh & Ajab Kaur	23.06.98	Harnam Singh & Ajab Kaur	IR 1148/52 dated 02.06.2000
KN 002044 to 2050	Rs.1,00,000 (each)	Harnam Singh & Ajab Kaur	13.11.98	Harnam Singh & Ajab Kaur	IR 1148/52 dated 02.06.2000

List'A'

Calcutta Circle

9% Relief Bonds, 1999 (Cumulative)					
CAC 002343	Rs. 25,000/-	Jyoti Deb and Madhu Bahl Deb	Cumulative	Jyoti Deb and Madhu Bahl Deb	File No.I – 2539 General Manager's Order dated 14.10.2000 vide Dy.no.LCO-47/2000-01 dated 14.10.2000
CAC 002769	Rs. 25,000/-	Jyoti Deb and Madhu Bahl Deb	Cumulative	Jyoti Deb and Madhu Bahl Deb	
CAC 002342	Rs. 25,000/-	Madhu Bahl Deb and Jyoti Deb	Cumulative	Madhu Bahl Deb and Jyoti Deb	
CAC 002768	Rs. 25,000/-	Madhu Bahl Deb and Jyoti Deb	Cumulative	Madhu Bahl Deb and Jyoti Deb	
10% Relief Bonds, 1995					
CA 8351	Rs. 1,00,000/-	Sujas Majumder and Ranja Majumder	Interest has been paid upto the half-year ended 30th June 2000	Sujas Majumder and Ranja Majumder	File No.I-2541 General Manager's Order dated 28.10.2000 vide Dy.No.LCO-59/2000-01 dated 28.10.2000

List "B"

No. of Security	Value in Rs. /Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
10% Relief Bonds, 1995 (Non-cumulative) - Ahmedabad - Circle					
AD – 2069	Rs. 2,75,000/-	1. Uday Babubhai Patel & 2. Bharanti Uday Patel	After loss occures i.e. 1-1-2000	3. Uday Babubhai Patel & 4. Bharanti Uday Patel	LN/S/0333 CO Diary No. 118 dated 23-9-2000
9% Relief Bonds 1987(G.P.) (Byculla, Mumbai)					
BC – 10425,	Rs. 1,60,000/-	Joginder Kaur Kohli Manmohan Singh Chadha	6-9-90	Joginder Kaur Kohli Manmohan Singh Chadha	2-3-2000
9% Relief Bonds 1999 (Non-cumulative) Ahmedabad Circle					
AD – 001190	Rs. 70,000/-	1. Krishna Ramanathan 2. Suguna Ramanathan 3. Vaidehi Ramanathan	1 -1-2000	1. Krishna Ramanathan 2. Suguna Ramanathan 4. Vaidehi Ramanathan	LN/S/0334 CO Diary No. 66 dated 8-8-2000

N.A. Ahaley

(Smt. N. A. Ahaley)
p. Chief General Manager.
6th December 2000.

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
SECRETARY'S DEPARTMENT
MUMBAI 400 001

Amendment to Regulation 24 of the Reserve Bank of India General Regulations, 1949

In exercise of the powers conferred by Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, namely,

1. (1) These Regulations may be called as the Reserve Bank of India General (Amendment) Regulations, 2000.

   (2) These Regulations shall come into force on 19 October, 2000 on their publication in the Official Gazette.

2. In the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, for the existing Sub-Regulations (i) and (ii) of Regulation 24 the following shall be substituted

> **24 (i)** Directors nominated under Section 8(1)(b) and 8(1)(c) and12(4) of the Act shall receive a fee of Rs.2000/- for each meeting of the Central Board which they attend and Rs.1000/- for each meeting of the Committee of the Central Board which they attend
>
> **(II)** Members of a Local Board shall receive a fee of Rs.2000/- for each meeting of the Local Board which they attend

(P. R. Gopala Rao)
Executive Director

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
MUMBAI 1

Notification No.PDO.20.14.02/I.F.C.Bonds dated 1st January 2001

In pursuance of Regulation 10 of Industrial Finance Corporation (Issue of Bonds) Regulations 1949, framed under Section 43 of the Industrial Finance Corpn.Act,1948 (XV of 1948), the following list for the half year ended 31st December 2000 of I.F.C.I. Bonds lost etc., in respect of which prima facie grounds exist for believing that the Bonds have been lost and that the claim of the applicants is just, is hereby published. All persons, other than the relative claimants named below, who have any claim upon these Bonds, should communicate immediately with the Regional Director , Reserve Bank of India, Public Debt Office, Mumbai 400 001. The list is divided into two parts, part 'A' being the list of securities advertised for the first time and part 'B' the list of securities previously advertised.

Sr. No.	Bond Number	Value In Rs.	In whose name issued	From what Date Bearing interest	Name(s) of the claimant(s) For payment of discharge Value/issue of duplicates and payment of accrued interest	No. and date Of orders issued	Date of publication of the list, in which the security was first included
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
List A				- NIL -			
List B - 7.25% IFCI Bonds 1997							
1.	BY 000908 - BY000910	3.00,000/- (3x1,00,000/-)	ANZ Grindlays Bank	29.9.1995	Madhur Capital and Finance Ltd., Ahmedabad	Case No.20.04. 2075. General Manager's orders dated 3.3.1999 C.O. Diary No.718 of date.	31.7.99
13% I.F.C.I. Bonds 2008 (64th Srs.)							
1.	BY 000077- BY 000082	60,00,000/- (6x10,00,000/)	Reserve Bank of India	28.1.1996	Trustees, Gratuity Fund of Bharat Petroleum Corporation Ltd.	Case No.20.04.2034 General Manager's orders dated 8th January 1998. C.O. Diary No.404 dated 12th January 1998.	14.2.1998

(A.B.Telang)
Regional Director for Maharashtra & Goa

10—459GI/2000

BANK OF INDIA

BANK OF INDIA OFFICER EMPLOYEES (ACCEPTANCE OF JOBS IN PRIVATE SECTOR CONCERNS AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 2000.

No. IL:2000-07 In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undetakings) Act, 1970 (5 of 1970) and in supersession of the existing 'Bank of India Officer (Employees') Acceptance of Jobs In Private Sector Concerns After Retirement Regulations, 1980, the Board of Directors of the Bank Of India in consultation with the Reserve Bank Of India and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :-

1. ***SHORT TITLE AND COMMENCEMENT*** *:-*

(1) *These Regulations may be called* ***Bank Of India Officer Employees (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000.***

(2) *These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.*

2. ***APPLICATION*** *:-*

These Regulations shall apply to all Officer Employees of the Bank except :-

(i) *Chairman of the Bank;*
(ii) *Managing Director of the Bank;*
(iii) *Whole time Director, if any;*
(iv) *Officer Employees covered under the Bank's (Employees) Pension Regulations, 1995;*
(v) *Those who are in casual employment or paid from contingency;*
(vi) *The Award Staff;*
(vii) *Officers on contract.*

3. ***DEFINITION*** *:-*

In these Regulations unless the context otherwise requires :-

(a) *'Bank' means* ***Bank Of India***
(b) *'Board' means the Board of Directors of the Bank Of India*
(c) *'Competent Authority' means the authority empowered by the Board for the purpose of these regulations;*
(d) *'Employment in private concerns' means :-*
  (i) *an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a Banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and also includes a directorship of such company (including a Banking company) and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;*

(ii) *setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect of which the person :-*

(a) *has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or*

(b) *has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or*

(c) *has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the Bank.*

EXPLANATION – For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

(e) *'Officer employee' means a person who has held a supervisory, administrative or managerial post in the Bank or any other person who was appointed and or has functioned as an officer of the Bank at the time of his retirement by whatever designation called.*

4. ***ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT AFTER RETIREMENT*** *:-*

(1) *If a person who immediately before his retirement was holding the post of an officer employee and wishes to accept any job in private concern before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the Bank to such acceptance.*

(2) *Subject to the provision of sub regulation (3), the Bank may by order in writing, on the application by a person, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such person to take up the job in private concern specified in the application.*

(3) *In granting or refusing permission under sub-regulation (2) to a person for taking up any commercial employment the Bank shall have regard to the following factors, namely :*

(a) *the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;*

(b) *whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the Bank;*

(c) *whether the officer employee while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to take employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion, that such person had shown favours to such employer;*

(d) *whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with Bank;*

(e) *whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under Bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;*

(f) *the emoluments offered by the proposed employer; and*

(g) *any other relevant factor.*

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the Bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the Bank shall be deemed to have granted the permission applied for;

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the Bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the Bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the Bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the Bank may make such orders thereon as it deems fit;

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the person making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) Every order passed by the Bank under this Regulation shall be communicated to the person concerned.

(J. S. Dalal)
Deputy General Manager

BANGALORE 560 002 - THE 4TH DAY OF DECEMBER 2000

No. IRS:124C:6479:NAK - In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12, of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Canara Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely,

1. Short Title and Commencement:- (1) These Regulations may be called The Canara Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazettee.

2. In the Canara Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations 1976 in Regulation 6, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an officer employee, it may itself enquire into, or appoint any other person who is, or has been, a public servant (hereinafter referred to as the Inquiring Authority) to inquire into the truth thereof.

Explanation: When the Disciplinary Authority itself holds the inquiry any reference in sub-regulation (8) to sub-regulation (21) to the Inquiring authority shall be construed as reference to Disciplinary Authority. "

FOOT NOTE: The amendments carried out earlier in the above regulations were Gazetted as per details given below:

1. Notification No. 8 HO 88 GSR dt. Ø1 Ø2 1988
2. Notification No. IR8 DP 325 88 GSR dt. Ø6 Ø7 1988
3. Notification No. IRS 1 9926 NAK dt. 11 Ø4 1998.

N. S. SRINATH
ASST. GENERAL MANAGER

No.IRS:124A:6480:NAK - In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Canara Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following Regulations further to amend the Canara Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976, namely:

1. (1) These Regulations may be called the Canara Bank Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Canara Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976, after regulation 24, the following regulation shall be inserted, namely:-

"24 A. Prohibition of Sexual Harassment of Working Women:

(1) No officer employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.

(2) Every officer employee who is in-charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

EXPLANATION - For the purpose of this regulation, "sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or otherwise) as -

(a) Physical contact and advances;

(b) a demand or request for sexual favours;

(c) sexually coloured remarks;

(d) showing pornography; or

(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

FOOT NOTE: The amendments carried out earlier in the above Regulations were Gazetted in Part III Section 4 of the Gazette of India, as per details given below:

1. Notification No. BHO/MISC/5020/88-6.8.1988
2. Notification Dt. 29.6.1991
3. Notification No. IRS/1/1872/DRD-9.10.1993

N.S. BRINATH
ASST. GENERAL MANAGER

BANGALORE - 560 002 DATE : 30TH DECEMBER, 2000

No.IRS:124A:6996:NAK - In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Canara Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Canara Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 namely -

1) i) These Regulations may be called the Canara Bank Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2) In the Canara Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations 1976 -

i) in Regulation 3, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) Every Officer employee shall, at all times take all possible steps to ensure and protect the interests of the bank and discharge his duties with utmost integrity, honesty, devotion and diligence and do nothing which is unbecoming of an Officer employee".

ii) in Regulation 3, after sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided wherever such directions are oral in nature the same shall be confirmed in writing by his superior official".

iii) in Regulation 6, in sub-regulation (1), for the existing proviso, the following shall be substituted namely :-

"Provided that an Officer employee may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitably nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer but he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the Competent Authority after recording reasons for the same".

iv) in regulation 6, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely :-

"(4) No officer employee shall accept any payment, in the form of fee, remuneration, honorarium and the like in cash or kind for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the Competent Authority".

N. S. SRINATH
ASST.GENERAL MANAGER

FOOT NOTE : The amendments carried out earlier in the above Regulations were Gazetted in Part III Section 4 of the Gaztte of India, as per details given below :

1) Notification No.BHO/MISC/5020/88-6.8.1988
2) Notification Dated 29.6.1991
3) Notification No.IRS/1/1872/DRD-9.10.1993

* * * * *

CALCUTTA/Patna/Allahabad Date : 29.11.2000

No. 4/2000. In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 (5 of 1970), the Board of Directors of United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following Regulations further to amend the United Bank of India Officer Employees'(Conduct) Regulations,1976 namely:-

1. (1) These Regulations may be called the United Bank of India Officer Employees'(Conduct) Amendment Regulations,2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the United Bank of India Officer Employees'(Conduct) Regulations,1976, after regulation 24,the following regulation shall be inserted, namely:-

"24A. Prohibition of Sexual Harassment of Working Women.

(1) No officer employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.

(2) Every officer employee who is in-charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

EXPLANATION - For the purpose of this regulation," sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or otherwise) as-

(a) Physical contact and advances ;

(b) a demand or request for sexual favours;

(c) sexually coloured remarks;

(d) showing pornography; or

(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

(D.K.Bhattacharyya)
General Manager
(Personnel)

BANGALORE, DATE : 24.11.2000

No. PER:IRD:2853:2000. In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies [Acquisition and Transfer of Undertakings] Act, 1980 [40 of 1980], the Board of Directors of Vijaya Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following Regulations further to amend the Vijaya Bank Officer Employees' [Conduct] Regulations, 1981, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Vijaya Bank Officer Employees' [Conduct] Amendment Regulations. 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Vijaya Bank Officer Employees' [Conduct] Regulations, 1981, after regulation 24, the following regulation shall be inserted, namely:-

"24A. Prohibition of Sexual Harassment of Working Women.

(1) No officer employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.

(2) Every officer employee who is in-charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

EXPLANATION – For the purpose of this regulation, "sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour [whether directly or otherwise] as –

(a) physical contact and advances;
(b) a demand or request for sexual favours;
(c) sexually coloured remarks;
(d) showing pornography; or
(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

[B. SRIDHAR SHETTY]
GENERAL MANAGER [PER]

MUMBAI - 400 005, December 18, 2000

File No. Pen/Amend/01/2000 - in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Dena Bank, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following Regulations, namely:-

1. (1) These Regulations may be called DENA BANK (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the DENA BANK (Employees') Pension Regulations, 1995 for clause (b) of sub-regulation 4 of Regulation 22, the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) Nothing in clause (a) shall apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from service".

FOOT NOTE:- The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary dated 29th September, 1995.

(B. BANDYOPADHYAY)
DY. GENERAL MANAGER
(PERSONNEL)

No.IR/Amend/01/2000 in exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of DENA BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following Regulations further to amend the DENA BANK Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the DENA BANK Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the DENA BANK Officer Employees'(Conduct) Regulations, 1976, after regulation 24,the following regulation shall be inserted, namely:-

24A. Prohibition of Sexual Harassment of Working Women:

(1) No officer employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.

(2) Every officer employee who is in-charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

EXPLANATION- For the purpose of this regulation, "sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or otherwise) as-

(a) Physical contact and advances;

(b) a demand or request for sexual favours;

(c) sexually coloured remarks;

(d) showing pornography; or

(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

(B.BANDYOPADHYAY)
DY. GENERAL MANAGER
(PERSONNEL)

No. Wakf/42/(2)/98/Vol.III
OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
PUNJAB WAKF BOARD
AMBALA CANTT.

I, Dr. M.R. Haque, Administrator, Punjab Wakf Board, Amabala Cantt. in exercise of the powers conferred under Section 27 of the Wakf Act, 1995, hereby delegate the following powers to Sh. Akhlaq Ahmed Khan, Chief Executive Officer, Punjab Wakf Board with effect from 24.11.2000.

1. To examine the report of Wakf Commissioner and publish in the official Gazette the list of Wakfs as per Wakf Rules, 1964 framed under the Wakf Act.

2. To sue and defend cases on behalf of the Board in Civil Criminal and Revenue Courts and before any authority by engaging advocates for the same and to take proper legal steps concerning Wakf properties.

3. To institute and defend writ petitions, appeals, revisions review and execute applications in all courts or before any authority.

4. To call for such return, statistics, accounts and other information from the Mutawallis in respect of Wakf properties as may be found necessary or as the Board may from time to time require.

5. To exercise powers and perform the functions of the Board to issue copies of the same on payment of the Wakf in disputed cases and in the maintenance of the Register of Wakf under Section of the Wakf Act, 1995.

6. To cause the registration of Wakf and to amend the Register of Wakfs under Section of the Wakf Act, 1995.

7. a) To examine and sanction the Budget of Mutawalli whose income do not exceed Rs.5,000/- per annum in each case.

   b) To pass order on audit report under Section 48(1) of the Wakf Act, 1995 of the Accounts of Wakfs whose income do not exceed Rs.5,000/- per annum.

8. To convey the formal consent of the Board to any person or authority to institute a suit, to obtain any of the relief referred to in section 83 of the Wakf Act, 1995.

9. To deposit and withdraw the amounts required to be deposited or withdrawn according to law in respect of suits or proceedings instituted or defended by the Board.

10. To take necessary steps for the proper recording of Wakf properties by the authorities appointed by the Government for settlement and consolidation of holdings.

11. Subject to regulations framed under Section 68 of the Wakf Act, 1954 read with section 110 and 112(2) of Wakf Act, 1995, to carry out the day to day administration of the office of the Wakf Board and to exercise the following powers: -

a) Approve tour programmes and sanction TA claims of all the employees of the Board.
b) Grant leave of all kinds to all the employees of the Board and sanction leave salary.
c) Fix and release salaries of all the employees in the sanctioned pay Scales.
d) Sanction annual increments to the employees of the Board, except class I and class II employees.
e) Sanction upto Rs.5,000/- at a time on cost of Petrol/Diesel, maintenance/servicing, Insurance and Registration of vehicle subject to availability of funds in the Budget.
f) Sanction upto Rs.5,000/- on postage, furniture & fixture, books and newspapers, printing & stationery subject to availability of funds in the budget.
g) Sanction upto Rs.5,000/- in any one case of maintenance of Wakf properties under Board's management including mosques viz. construction, white washing, repair and renovation subject to availability of funds in the budget.
h) Sanction upto Rs.1,000/- on non-recurring contingent expenses subject to availability of funds in the budget.
i) Sanction payment of Govt. dues, 7% contribution of the Punjab Wakf Board, printing Charges of Notifications in Govt. Gazette, electricity and telephones bills without limit.
j) Accept quotations and tenders in respect of the total estimated value of articles/work not exceeding Rs.25,000/- and issue supply/work order.
k) Issue supply/work order in case of purchase of articles where valuation of work does not exceed Rs.10,000/-
l) Sanction refunds (except lease money, earnest money and security of building contractor) upto Rs.5,000/- in each case.
m) To sanction upto Rs.5,000/- on Urs, Muslim festivals and official functions subject to availability of funds.

12. To sanction prescribed court fees and counsel fee upto Rs.3,300/- in each case.

13. To sanction legal expenditure upto Rs.3,000/- in each case.

14. To get the accounts of the Board as well as of those Wakfs which are under the direct management of the Board audited at the end of every financial year as laid down in the Wakf Act, 1995 and submit the audit report to the Administrator.

15. To order auction or sanction sales where the original purchase value of moveable property or article does not exceed Rs.10,000/-.

16. To receive all the amount of compensation awarded by any authority in respect of any Wakf Property.

17. To maintain ACRs of the employees upto the rank of Section Officer/Estate Officer and to submit to the Administrator at the end of financial year.

24.11.2000

12—459GI/2000

(Dr. M.R. Haque)
Administrator

EASTERN REGIONAL COMMITTEE

National Council for Teacher Education
(A Statutory body of the Government of India)
15, Nilakantha Nagar, Nayapalli, Bhubaneswar
Fax-(0674) 414873 & Phone-416156

No.F.7-16/2000-ERC/ 1464 dated 29.6.2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **Dudhnoi Teachers Training College, P.O. Dudhnoi, Dist. Goalpara-783124 (Assam)** had applied for recognition of **B.Ed.** course of **one** year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE.

AND WHEREAS upon the directions of the Eastern Regional Committee, a visit of the applicant institution was carried out by a visiting team on **13.12.99** constituted by the Regional Committee.

AND WHEREAS on **23-24 March 2000**, the Regional Committee, after considering the report of the visiting team as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **3.4. 2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **20.4.2000**. The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17 June 2000,** which came to the conclusion that recognition to the said institution be refused for the following reasons:

1. There is no multipurpose lab. for computer, psychology and science practicals.
2. The teachers are paid a consolidated salary of Rs.1000/- per month against the recommendations of NCTE for UGC/State Govt. scales.
3. There are no basic amenities viz. Common room, drinking water, Hostel, etc. available.
4. Furniture in classroom and in other rooms is not available as per NCTE norms.
5. The library has only 337 books against the requirement of 1500 as per NCTE norms.
6. There is no sports facility available in the institution.
7. Technical support staff is not available in the institution.
8. Endowment fund and reserve funds are not maintained as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that **recognition to Dudhnoi Teachers Training College, P.O. Dudhnoi, Dist. Goalpara-783124 (Assam) for B.Ed. is hereby refused**.

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.F.7-14 2000-ERC 1409 dated 28.6.2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz **Sponsored Teacher's Training College, Deshbandhu Road, P.O./Dist. Purulia-723 101 (West Bengal)** had applied for recognition of **B.Ed** course of **one** year duration under Section 14 of the NCTE Act 1993 to the ERC NCTE

AND WHEREAS upon the directions of the Eastern Regional Committee, a visit of the applicant institution was carried out by a visiting team on **7.2.2000** constituted by the Regional Committee.

AND WHEREAS on **23-24 March 2000** the Regional Committee, after considering the report of the visiting team as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **3.4. 2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act 1993 thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **19.4.2000** The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17 June 2000**, which came to the conclusion that recognition to the said institution be refused for the following reasons:

1. The institution has only 3 teachers against the requirement of 20 for an intake of 200.
2. Technical support staff is not available as per norms.
3. Laboratories are not equipped as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **Sponsored Teacher's Training College, Deshbandhu Road, P.O./Dist. Purulia-723 101 (West Bengal)** for B Ed Course is hereby refused

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette

Regional Director.

No.F.7-14/2000-ERC/ 1410 dated 28 6 2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **Siliguri B.Ed. College, P.O Kadamtala, Dist. Darjeeling-734 433 (West Bengal)** had applied for recognition of B.Ed course of one year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE

AND WHEREAS the institution was granted conditional recognition for the session 1999-2000 with an intake of 120

AND WHEREAS on 23-24 March 2000, the Regional Committee after considering the report of the visiting team compliance report dated 4 12 1999 from the institution as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on 3 4.2000 to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated 15 4 2000 The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on 16 17 June 2000, which came to the conclusion that recognition to the said institution be withdrawn for the following reasons.

1. The institution has only 01 full-time regular lecturer against the requirement of 16 for an intake of 165 as applied by the institution.
2. The technical support staff is not available.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **Siliguri B.Ed College, P.O. Kadamtala, Dist. Darjeeling-734 433 (West Bengal)** for B.Ed. Course is hereby withdrawn

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.F 7-14/2000-ERC 1411 dated 28 6 2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz **Ananda Chandra Training College, P.O./Dist. Jalpaiguri-735 101 (West Bengal)** had applied for recognition of B Ed course of one year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE

AND WHEREAS the institution was granted conditional recognition for the session 1999-2000 with an intake of 122

AND WHEREAS on 23-24 March 2000 the Regional Committee, after considering the report of the visiting team, compliance report dated 28 2 2000 from the institution as well as other relevant materials furnished by the applicant institution had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on 3 4 2000 to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated 22 4 2000 The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on 16-17 June 2000 which came to the conclusion that recognition to the said institution be withdrawn for the following reasons

1. The post of Principal is lying vacant.
2. The institution has only 2 full-time regular lecturers against the requirement of 12 for an intake of 122.

NOW THEREFORE it is hereby ordered that recognition to **Ananda Chandra Training College, P.O./Dist. Jalpaiguri-735 101 (West Bengal)** for B Ed Course is hereby withdrawn

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette

Regional Director.

No.F.7-18/2000-ERC/ 1412 dated 28 .6.2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz **Distance Education Centre, Berhampur University, Bhanjavihar, Berhampur, Dist. Ganjam-760 007 (Orissa)** had applied for recognition of **M.Ed. course (Distance Education Mode)** of **one year** duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE

AND WHEREAS upon the directions of the Eastern Regional Committee, a visit of the applicant institution was carried out by a visiting team on **24.3.2000** constituted by the Regional Committee

AND WHEREAS on **23-24 March 2000**, the Regional Committee, after considering the report of the visiting team as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **4.4.2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **25.4.2000** The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16 – 17 June 2000**, which came to the conclusion that recognition to the said institution be refused for the following reasons

1. The university centre has no regular faculty for the course against the requirement of at least 5 full-time teachers.
2. No technical support staff as per NCTE norms has been appointed for the course.
3. The university has no separate accommodation for M.Ed. course.
4. There is no material production centre equipped as per NCTE norms.
5. The institution is earning a net profit of over Rs. 08 lacs per annum from the course. Thus running it on commercial lines.
6. The eligibility criteria for admission as prescribed by NCTE is not followed.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that **recognition to Distance Education Centre, Berhampur University, Bhanjavihar, Berhampur, Dist. Ganjam-760 007 (Orissa) for M.Ed. Course (Distance Education Mode) is hereby refused.**

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette

Regional Director.

No.F.7-18/2000-ERC/ 1413 dated 29.6.2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **R. M .Deka Institute of Education, Chenikuti, Guwahati-781003 (Assam)** had applied for recognition of **B.Ed.** course of one year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE.

AND WHEREAS the institution was granted provisional recognition for the session 1999-2000 with an intake of 60 vide order dated 18-2-1999.

AND WHEREAS upon the directions of the Eastern Regional Committee, a visit of the applicant institution was carried out by a visiting team on 16.12.99 constituted by the Regional Committee.

AND WHEREAS on **23-24 March 2000**, the Regional Committee, after considering the report of the visiting team as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **3.4.2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **22.4.2000**. The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17 June, 2000** which came to the conclusion that recognition to the said institution be withdrawn for the following reasons:

1. The school functions in the evening shift from 2:15 P.M. to 7:15 P.M. against the norms of NCTE for regular day shift for at least six hours.
2. The institution has no laboratory facilities as required under NCTE norms.
3. There are only 850 books in the library against the requirement of 1500 books.
4. There is no common-room facility, hostel facility for the teachers and students.
5. Five members of the teaching staff have no P.G. degree in Education, hence not qualified as per NCTE norms.
6. The teachers are paid only Rs.1500/- per month against the recommendations of NCTE for UGC/State Govt. scales.
7. The Endowment funds and reserve funds are not maintained as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that **recognition to R.M.Deka Institute of Education, Guwahati, Assam for B.Ed. course is hereby withdrawn.**

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No F 7-14 2000-ERC 1414 dated 28 6 2000

Order

WHEREAS the applicant institution viz **Jahargram Govt. P.T.T.I., P.O. Jhargram, Dist. Midnapore-721 507 (West Bengal)** had applied for recognition of **Primary Teachers Training** course of **one** year duration under Section 14 of the NCTE Act 1993 to the ERC NCTE

AND WHEREAS the institution was granted conditional recognition for the **session** 1999-2000 with an intake of 80

AND WHEREAS on **23-24 March 2000** the Regional Committee after considering the compliance report dated **9.101999** as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **3.4 .2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act 1993 thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **15.4.2000** The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17 June 2000** which came to the conclusion that recognition to the said institution be withdrawn for the following reasons

1. The institution has only 2 full time teachers against the requirement of 4 for an intake of 50.
2. The building is not as per NCTE norms.
3. The library is not equipped as per NCTE norms.
4. Multipurpose lab is not equipped as per NCTE norms.
5. The technical support staff is not provided as per NCTE norms.

NOW THEREFORE it is hereby ordered that recognition to Jahargram Govt P T T I, P O Jhargram, Dist Midnapore-721 507 (West Bengal) for Primary Teachers Training course is hereby withdrawn

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette

Regional Director.

No.F.7-14/2000-ERC/ 1419 dated 29 .6.2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **Navodaya Institute of Education, Last Gate, Dispur, P.O. Assam Sachivalaya, Guwahati, Dist. Kamrup-781 006 (Assam)** had applied for recognition of **B.Ed.** course of **one** year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE.

AND WHEREAS upon the directions of the Eastern Regional Committee, a visit of the applicant institution was carried out by a visiting team on **10.12.99** constituted by the Regional Committee.

AND WHEREAS on **23-24 March 2000**, the Regional Committee, after considering the report of the visiting team as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **4.4.2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS the institution has not submitted any representation in response to the notice dt. 4.4.2000 served on the institution under section 14(3)(b) of the NCTE Act.

AND WHEREAS no reply has been received from the institution to the notice dt. **4.4.2000**, The Committee on **16-17 June 2000** considered the material available on the record and decided to refuse recognition to the institution for the following reasons:

1. No reply to the notice dt. 4.4.2000 has been received from the institution.
2. Three members of the teaching staff has no P.G. degree in education, hence, are not qualified as per NCTE norms.
3. Teachers are paid a consolidated salary of Rs.1500/- per month against the norms of NCTE for UGC/State Govt. scales.
4. The institution has no building. of its own and is running in a high school.
5. The institution is functioning only for 5 hours in the evening shift against the norms of NCTE for at least 6 hours in regular day shift.
6. Furniture in classroom and in other rooms is not available as per NCTE norms.
7. The library has only 502 books against the requirement of 1500 as per NCTE norms.
8. There is no multipurpose laboratory for computer, psychology and science practicals.
9. Technical support staff is not available in the institution.
10. Reserve fund and endowment fund are not maintained as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **Navodaya Institute of Education, Last Gate, Dispur, P.O. Assam Sachivalaya, Guwahati, Dist. Kamrup-781 006 (Assam)** for **B.ED. Course is hereby refused**

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.F 7-14/2000-ERC/ 1430 dated 29 .6.2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **Dakshin Guwahati B.Ed. College, Ambari-Fatasil, P.O. Guwahati, Dist. Kamrup-781 025 (Assam)** had applied for recognition of **B.Ed.** course of **one** year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE.

AND WHEREAS upon the directions of the Eastern Regional Committee, a visit of the applicant institution was carried out by a visiting team on **11.12.99** constituted by the Regional Committee

AND WHEREAS on **23-24 March 2000**, the Regional Committee, after considering the report of the visiting team as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **3.4.2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **2.5.2000**. The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17 June 2000**, which came to the conclusion that recognition to the said institution be refused for the following reasons:

1. None of the teaching staff is qualified as per NCTE norms.
2. Teachers are paid a consolidated salary of Rs.2200/- per months against the norms of NCTE for UGC/State Govt. scales.
3. The institution has no building. of its own and is running in a primary school.
4. The institution is functioning only for 3 hours 45 minutes in the evening shift against the norms of NCTE for at least 6 hours in regular day shift.
5. Furniture in classroom and in other rooms is not available as per NCTE norms.
6. The library has only 471 books against the requirement of 1500 as per NCTE norms.
7. Educational journals are not subscribed to in the library.
8. There is no multipurpose laboratory for computer, psychology and science practicals.
9. There are no basic amenities viz. Common room, hostel, etc. available in the institution.
10. Technical support staff is not available in the institution.
11. The institution has no endowment fund against the requirement of Rs. 5 lacs as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **Dakshin Guwahati B.Ed. College, Ambari-Fatasil, P.O. Guwahati, Dist. Kamrup-781 025 (Assam) for B.Ed. Course** is hereby refused.

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette

Regional Director.

No.F.7-14/2000-ERC/ 1431 dated 29 2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **Rajdhani College of Education, Dispur, Basishtha Road, Beltola, Kamrup-781 028(Assam)** had applied for recognition of **B.Ed** course of **one** year duration under Section 14 of the NCTE Act **1993** to the ERC, NCTE.

AND WHEREAS upon the directions of the Eastern Regional Committee, a visit of the applicant institution was carried out by a visiting team on **7.12.99** constituted by the Regional Committee.

AND WHEREAS on **23-24, March 2000**, the Regional Committee, after considering the report of the visiting team as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **4.4.2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **20.4.2000**. The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17, June 2000**, which came to the conclusion that recognition to the said institution be refused for the following reasons

1. None of the teachers except one though appointed after 17.8.95 is qualified as per NCTE norms.
2. The teachers are paid a consolidated salary of Rs.1200/- per month against the recommendations of NCTE for UGC/State Govt. scales.
3. The college is functioning in the building of a secondary school.
4. The college is functioning from 4 p.m. to 7:15 p.m. i.e. only for 3 hours 15 minutes against the norms of 6 hours per day.
5. There is no multipurpose lab. for computer, psychology and science practicals.
6. Furniture in classroom and in other rooms not available as per NCTE norms.
7. The library has only 300 books against the requirement of 1500 as per NCTE norms.
8. Technical support staff is not available in the institution.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **Rajdhani College of Education, Dispur, Basishtha Road, Beltola, Kamrup-781 028(Assam) for B.Ed. course is hereby refused.**

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.F.7-14/2000-ERC/ 1433 dated 29.6.2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **National B.Ed. College, Behind Rajdhani Nursery, R.G. Baruah Road, P.O. Dispur, Guwahati, Dist. Kamrup-781005 (Assam)** had applied for recognition of **B.Ed.** course of **one year** duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE

AND WHEREAS upon the directions of the Eastern Regional Committee, a visit of the applicant institution was carried out by a visiting team on 9.12.1999 constituted by the Regional Committee.

AND WHEREAS on **23-24 March, 2000**, the Regional Committee, after considering the report of the visiting team as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **3.4.2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **26.4.2000** The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17, June 2000**, which came to the conclusion that recognition to the said institution be refused for the following reasons:

1. The Principal though appointed after 17-8-95 is not qualified as per NCTE norm.
2. The Principal is overage.
3. There is no regular full-time teacher in the institution.
4. The institution has no building. of its own.
5. The institution is functioning only for 2 hours 50 minutes in the evening shift against the norms of NCTE for at least 6 hours in regular day shift.
6. Furniture in classroom and in other rooms is not available as per NCTE norms.
7. The library has only 706 books against the requirement of 1500 as per NCTE norms.
8. There is no multipurpose laboratory for computer, psychology and science practicals.
9. Technical support staff is not available in the institution.
10. The institution has no reserve fund and endowment fund as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **National B.Ed. College, Behind Rajdhani Nursery, R.G Baruah Road, P.O. Dispur, Guwahati, Dist. Kamrup-781005 (Assam) for B.Ed. course is hereby refused.**

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.F.7-14/2000-ERC/ 1438 dated 29 .6.2000
30

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **Millia Sir Syed Primary Teachers Training College, Rambagh, Khazanchi Hat, Purnia-854 301 (Bihar)** had applied for recognition of **Primary Teachers Training** course of **two** year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE

AND WHEREAS the institution was granted provisional recognition for the session **1999-2000** with an intake of **80** vide **order dated 15.9.99.**

AND WHEREAS on **23-24 March 2000**, the Regional Committee, after considering the compliance report dated **30.9.99 and 10.10. 99** as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **3.4.2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **18.4.2000**. The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17 June 2000**, which came to the conclusion that recognition to the said institution be withdrawn for the following reasons:

1. None of the teachers has P.G. degree in Education and not qualified as per NCTE norms.
2. The college building and instructional area is not as per NCTE norms.
3. The multipurpose educational laboratory is not equipped as per NCTE norms.
4. Curriculum transaction and supervised practice teaching is not as per NCTE norms.
5. The institution has no endowment fund against the requirement of Rs. 5 lacs as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that **recognition to Millia Sir Syed Primary Teachers Training College, Rambagh, Khazanchi Hat, Purnia-854 301 (Bihar) for Primary Teachers Training Course is hereby withdrawn**

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.F.7-19/2000-ERC/ 1439 dated 29.6.2000
30

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **Barnagar B.Ed. College, Sorbhog, Barpeta-781317(Assam)** had applied for recognition of **B.Ed.** course of **one** year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE.

AND WHEREAS upon the directions of the **Eastern Regional** Committee, a visit of the applicant institution was carried out by a visiting team on **14.12.99** constituted by the Regional Committee.

AND WHEREAS on **23-24, March 2000**, the Regional Committee, after considering the report of the visiting team as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **3.4.2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **27.4.2000**. The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17, June**, which came to the conclusion that recognition to the said institution be refused for the following reasons:

1. The Principal is overage and is not qualified as per NCTE norm.
2. Lecturers for method subjects except in History are not qualified as per NCTE norms.
3. There is no multipurpose lab. for computer, psychology and science practicals.
4. The teachers are paid a consolidated salary of Rs.1000/- per month against the norms of NCTE for UGC/State Govt. scales.
5. There are no basic amenities viz. Common room, drinking water, etc. available in the institution.
6. Furniture in classroom and in other rooms is not available as per NCTE norms.
7. The library has only 376 books against the requirement of 1500 as per NCTE norms.
8. There is no sports facility available in the institution.
9. Technical support staff is not available in the institution.
10. The institution has only Rs.2 lacs as endowment fund against the requirements of Rs. 5 lacs as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **Barnagar B.Ed. College, Sorbhog, Barpeta-781317(Assam) for B.Ed. course** is hereby refused.

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.F.7-14/2000-ERC/ 1446 dated 29.6.2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **Gandhigram Govt. Primary Teacher Training Institute, P.O. Rajhat, Dist. Hooghly (West Bengal)** had applied for recognition of Primary Teachers Training course of one year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE.

AND WHEREAS upon the directions of the Eastern Regional Committee, a visit of the applicant institution was carried out by a visiting team on 4.2.2000 constituted by the Regional Committee.

AND WHEREAS on 23-24 March 2000, the Regional Committee, after considering the report of the visiting team as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on 3.4.2000 to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS no reply has been received from the institution to the notice dt. **4.4.2000**, The Committee on **16-17 June 2000** considered the material available on the record and decided to refuse recognition to the institution for the following reasons:

1. No reply to the notice dt. 3.4.2000 has been received from the institution.
2. The Principal's post is lying vacant.
3. The institution has only 3 teachers against the requirement of 7 for an intake of 80.
4. Multipurpose educational laboratory equipped as per NCTE norms not available.
5. Furniture and other equipment are not available as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **Gandhigram Govt. Primary Teacher Training Institute, P.O. Rajhat, Dist. Hooghly (West Bengal)** for **Primary Teachers Training Course is hereby refused.**

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.F.7-14/2000-ERC/ 1441 dated 29 30 .6.2000

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **Govt. Primary Teachers Training Institute, P.O. Kalimpong, Dist. Darjeeling-734 301 (West Bengal)** had applied for recognition of **Primary Teachers Training** course of **one** year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE.

AND WHEREAS the institution was granted provisional recognition for the session 1999-2000 with an intake of 50 vide order dated 16/18.6.99.

AND WHEREAS on **23-24 March 2000**, the Regional Committee, after considering the compliance report dated 5.10.1999 as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on 3.4 .2000 to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated 15.4.2000. The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17 June 2000**, which came to the conclusion that recognition to the said institution be withdrawn for the following reasons:

1. The institution has only 2 full-time teachers against the requirement of 4 for an intake of 50.
2. The library is not equipped as per NCTE norms.
3. Multipurpose lab. is not equipped as per NCTE norms.
4. The technical support staff is not provided as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **Govt. Primary Teachers Training Institute, P.O. Kalimpong, Dist. Darjeeling-734 301** (West Bengal) for Primary Teachers Training course is hereby withdrawn

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.F/7-14/2000-ERC/ 1442 **dated 29 .6.2000** 30

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **Govt. Secondary Training School for Women, attached to Ravenshaw Girls School, Choudhuri Bazar, Cuttack-753001 (Orissa)** had applied for recognition of **Teachers' Certificate course of two** year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE

AND WHEREAS the institution was granted provisional recognition for the session **1999-2000** with an intake of **50** vide order dated **23.2.99**.

AND WHEREAS on **23-24 March 2000**, the Regional Committee, after considering the compliance report dated **8.3.99** as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **3.4.2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS, no reply has been received from the institution to the notice dt. **4.4.2000**, The Committee on **16-17 June 2000** considered the material available on the record and decided to refuse recognition to the institution for the following reasons:

1. There are only three teachers including the Headmaster against the requirement of nine for an intake of 50.
2. The library, equipment and other teaching aids are not as per NCTE norms.
3. The technical staff not available as per NCTE norms.
4. Multipurpose Education laboratory is not available as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **Govt. Secondary Training School for Women, attached to Ravenshaw Girls School, Choudhuri Bazar, Cuttack-753001 (Orissa) for Teachers' Certificate Course is hereby withdrawn.**

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.F.7-14/2000-ERC/ 1444 dated 29.6.2000
30

Order

WHEREAS, the applicant institution viz. **R.C. Mission Primary Teachers Education College, P.O. Konbir-Noatoli, Dist. Gumla- 835 229 (Bihar)** had applied for recognition of **Primary Teachers Training** course of **two** year duration under Section 14 of the NCTE Act, 1993 to the ERC, NCTE.

AND WHEREAS the institution was granted provisional recognition for the session **1998-99** with an intake of **70** vide order dated **6.3.98.**

AND WHEREAS the institution did not admit students for the session 1999-2000

AND WHEREAS on **23-24 March 2000**, the Regional Committee, after considering the compliance report dated **19.2.2000** as well as other relevant materials furnished by the applicant institution, had opined that the applicant institution does not fulfil the requirements and issued a notice on **3.4.2000** to the applicant institution under proviso to Section 14 (3) (b) of the NCTE Act, 1993, thereby giving an opportunity to the said applicant institution to make a written representation in this behalf.

AND WHEREAS the applicant institution had submitted representation dated **11.5.2000**. The said representation of the institution as well as other documents and materials submitted were duly considered by the Regional Committee on **16-17 June 2000**, which came to the conclusion that recognition to the said institution be withdrawn for the following reasons:

1. Institution has only four teachers against the requirement of 8 for an intake of 50.
2. None of the teaching staff has P.G. degree in education, hence not qualified as per NCTE norms.
3. Teaching staff is not paid state Govt. scales.
4. Multipurpose lab. is not equipped as per NCTE norms.
5. The technical support staff is not provided as per NCTE norms.
6. No evidence of having Rs. 5 lacs in endowment fund has been submitted by institutions.

NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that recognition to **R.C. Mission Primary Teachers Education College, P.O. Konbir-Noatoli, Dist. Gumla- 835 229 (Bihar)** for Primary Teachers Training Course is hereby withdrawn

Also ordered that a copy of this order be published in the Official Gazette.

Regional Director.

No.7-14/2000-ERC/ 1490 July 6, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher **Education**(NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **College** of **Teacher Education, Mahatma Gandhi Road, Upper Khatla, Aizawl (Mizoram)** for **B.Ed. course** of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 120 (one **hundred** twenty) students, subject to fulfilling the following conditions:

1. **The** institution shall function with 12 teaching staff and other supporting staff possessing the **qualifications** as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. **The** institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.
3. **The** admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/ State Government.
4. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
5. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
7. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
8. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 7 above.

If College of Teacher Education, Mahatma Gandhi Road Upper Khatla, Aizawl (Mizoram) contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder, or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

No.7-14/2000-ERC/ 1491 July 6, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education(NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to Deptt. of Education, University of Kalyani, Kalyani, Nadia (West Bengal) for B.Ed. course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 80 (Eighty) students, subject to fulfilling the following conditions:

1. The institution shall function with 8 teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be
2. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.
3. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/ State Government.
4. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
5. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
7. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
8. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 7 above

If Deptt. of Education, University of Kalyani, Kalyani, Nadia (West Bengal) contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder, or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/ 1564 July 19, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **Govt. Teachers' Training College, P.O. & Dist. Malda (West Bengal)** for **B.Ed.** course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 80 (eighty) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall function with **eight** teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. Seven of the teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above

If **Govt. Teachers' Training College, P.O. & Dist. Malda (West Bengal)** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/ 1565 July 19, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education(NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **Banipur Govt. Primary Teachers' Training Institute, Unit-2, P.O. Banipur, Dist. North 24-Parganas (West Bengal)** for **Primary Teachers' Training** course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 50 (fifty) students, subject to fulfilling the following conditions:

1. The institution shall function with four teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. At least two teachers already appointed shall acquire P.G. Degree in Education within two years or shall be replaced with the teachers qualified as per NCTE norms.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/ State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 abaove.

If **Banipur Govt. Primary Teachers' Training Institute, Unit-2, P.O. Banipur, Dist. North 24-Parganas (West Bengal)** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/ 1566 July 19, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **Belakoba Govt. Primary Teachers' Training Institute, P.O. Prasannanagar, Dist. Jalpaiguri (West Bengal)** for **Primary Teachers' Training** course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 50 (fifty) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall appoint within a period of one year one additional teaching staff possessing the academic qualifications as laid down in the NCTE norms, in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.

If **Belakoba Govt. Primary Teachers' Training Institute, P.O. Prasannanagar, Dist. Jalpaiguri (West Bengal)** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/ 1569 July 19, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **Dharmada Govt. Primary Teachers' Training Institute, P.O.Dharmada, Dist. Nadia (West Bengal)** for **Primary Teachers' Training** course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 50 (fifty) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall appoint within a period of one year **one** additional teaching staff possessing the academic qualifications as laid down in the NCTE norms, in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course
8. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.

If **Dharmada Govt. Primary Teachers' Training Institute, P.O.Dharmada, Dist. Nadia (West Bengal)** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/1570 July 19, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to Govt. College of Education, Burdwan, Kazirhat, P.O. Lakurdi, Dist. Burdwan – 713 102 (West Bengal) for B.Ed. course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 65 (sixty five) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall function with seven teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be
2. The post of Principal shall be filled up with a candidate qualified as per NCTE norm within one year.
3. The three teachers not having P.G. degree in Education shall acquire the qualifications within a period of two years or shall be replaced with teachers qualified as per NCTE norms.
4. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
5. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
6. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
7. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
8. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
9. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
10. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.

If Govt. College of Education, Burdwan, Kazirhat, P.O. Lakurdi, Dist. Burdwan – 713 102 (West Bengal) contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/ 1271 July 19, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **Govt. College of Education, P.O. Banipur, Dist. 24- Parganas (North) (West Bengal)** for B.Ed. course of one year duration from the academic session **2000-2001** with an annual intake of 80 (eighty) students, subject to fulfilling the following conditions .

1. The institution shall function with eight teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be
2. The seven teachers not having P G degree in Education shall acquire the qualifications within a period of two years or shall be replaced with teachers qualified as per NCTE norms.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.

If **Govt. College of Education, P.O. Banipur, Dist. 24- Parganas (North) (West Bengal)** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/ July 19, 2000
20

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to D.I.E.T., Chatlang, P.O. Ramhlun, Dist. Aizawl – 796 012 (Mizoram) for Diploma in Teacher Education course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 120 (one hundred twenty) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. **The institution shall function with 10 teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.**
2. **All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order**
3. **The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.**
4. **The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government**
5. **Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.**
6. **Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body**
7. **Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course**
8. **The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms**
9. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above**

If D.I.E.T., Chatlang, P.O. Ramhlun, Dist. Aizawl - 796 012 (Mizoram) contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/ 1573 July 19, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **D.I.E.T., P.O. & Dist. Lunglei, Mizoram -796 701 (Mizoram)** for **Diploma in Teacher Education** course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 100 (one hundred) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall function with 8 teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.

If **D.I.E.T., P.O. & Dist. Lunglei, Mizoram -796 701 (Mizoram)** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/ 1574

July 19, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993 the Eastern Regional Committee grants recognition to **Govt. B.T. College, Goalpara, P.O. Baladmari, Dist. Goalpara – 783 121 (Assam)** for B.Ed. course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 70 (seventy) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall function with seven teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. The post of Principal shall be filled up with a candidate qualified as per NCTE norm within one year.
3. The teachers not having P.G. degree in Education shall acquire the qualifications within a period of two years or shall be replaced with teachers qualified as per NCTE norms.
4. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
5. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
6. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
7. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body
8. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
9. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms
10. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 9 above.

If **Govt. B.T. College, Goalpara, P.O. Baladmari, Dist. Goalpara – 783 121 (Assam)** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/1575 July 19, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **D.I.E.T., Remuna, P.O. Khirochora Gopinath, Dist. Balasore – 756 018 (Orissa)** for Teachers' Certificate course of two year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 50 (fifty) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall appoint within a period of one year two additional teaching staff possessing the academic qualifications as laid down in the NCTE norms, in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualification as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.

If **D.I.E.T., Remuna, P.O. Khirochora Gopinath, Dist. Balasore – 756 018 (Orissa)** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/1577 July 20, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **Hindi Teachers Training College, Ainthapali, P.O. Budharaja, Dist. Sambalpur-768 004 (Orissa)** for **Hindi Teachers' Training Certificate** course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 50 (fifty) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall appoint within a period of one year one additional teaching staff possessing the academic qualifications as laid down in the NCTE norms, in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/ State Government as the case may be.
2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualification as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter a'ia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.

If **Hindi Teachers Training College, Ainthapali, P.O. Budharaja, Dist. Sambalpur-768 004 (Orissa)** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/1-14/2000/ 1578 July 19, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to Hindi Teachers Training Institute, Dewan Bazar, MYCA Building, Cuttack-753 001 (Orissa) for Hindi Teachers' Training Certificate course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 50 (fifty) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. **The institution shall function with four teaching staff and other supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.**
2. **All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualification as per the norms within a period of two years of this order.**
3. **The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.**
4. **The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.**
5. **Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.**
6. **Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.**
7. **Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.**
8. **The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.**
9. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.**

If Hindi Teachers Training Institute, Dewan Bazar, MYCA Building, Cuttack-753 001 (Orissa) contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-14/2000/ 1579 July 19, 2000
20

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to Hindi Teachers' Training College, 28, Lewis Road, Jayadev Nagar, Bhubaneswar – 751 002 (Orissa) for Hindi Teachers' Training Certificate course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 50 (fifty) students, subject to fulfilling the following conditions :

1. **The institution shall appoint within a period of one year one additional teaching staff possessing the academic qualifications as laid down in the NCTE norms, in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.**
2. **All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualification as per the norms within a period of two years of this order.**
3. **The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.**
4. **The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.**
5. **Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.**
6. **Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.**
7. **Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.**
8. **The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.**
9. **The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.**

If Hindi Teachers' Training College, 28, Lewis Road, Jayadev Nagar, Bhubaneswar – 751 002 (Orissa) contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

ERC/7-15/2000/ 1970 October 13, 2000

ORDER

Under the provisions of NCTE Regulations para 4(b) dated 29th December 1995, the Eastern Regional Committee grants permission to **Tagore Govt. College of Education, Middle Point, Port Blair, A & N Islands-744 101** to increase the intake from 60 to 80 for B. ED course of one year duration for the academic session 2000-2001, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall appoint **8** teaching staff and supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms, by 31.10.2000 in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 7 above.

If **Tagore Govt. College of Education, Middle Point, Port Blair, A & N Islands-744 101** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this permission under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

The institution shall apply afresh before 31 December 2000 for continuation of intake of 80 for 2001-2002 with full compliance of the conditions stated above failing which the intake capacity shall stand restricted to 60 for 2001-2002.

By order

Regional Director

ERC/7-15/2000/ 1971 October 13, 2000

ORDER

Under the provisions of NCTE Regulations para 4(b) dated 29th December 1995, the Eastern Regional Committee grants permission to **D. M. College of Teacher Education, Imphal, Manipur-795001** to increase the intake from 180 to 240 for B. ED-course of one year duration for the academic session 2000-2001 (University examination year 1999 2000), subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall appoint **24** teaching staff and full supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms, by 31.10 2000 in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 7 above.

If **D.M. College of Teacher Education, Imphal, Manipur-795001** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this permission under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

The institution shall apply afresh before 31 December 2000 for continuation of intake of 240 for 2001-2002 with full compliance of the conditions stated above failing which the intake capacity shall stand restricted to 180 for 2001-2002.

By order

Regional Director

ERC/7-15/2000/ 1977 October 16, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education(NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **Kanan Devi Memorial College of Education, Pangel, Imphal, Manipur** for B.Ed. course of one year duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 100 (One hundred) students, subject to fulfilling the following conditions:

1. The institution shall appoint **10** teaching staff and supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms, in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.
4. The institution shall function for six hours a day and shall switch over to day shift from the beginning of the new academic session 2001-2002.
5. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/ State Government.
6. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
7. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
8. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
9. The institution, being unaided, shall increase the endowment to Rs. 5 lakhs and reserve fund to 3 months staff salary as per NCTE norms.
10. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 9 above.

If **Kanan Devi Memorial College of Education, Pangel, Imphal, Manipur** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17 (1) of the NCTE Act.

The institution should send a compliance report by 31st December, 2000 to ERC, NCTE.

By order

Regional Director

ERC/7-15/2000/ 1978 October 16, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education(NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **S.P.G. Women's Primary Teacher's Education College, Church Road, Ranchi, Bihar** for PTTC course of **two** years duration from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 50 (fifty) students, subject to fulfilling the following conditions:

1. The institution shall appoint 8 teaching staff and supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms, in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating **Board** / State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating **Board** /State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating **Board** /examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution, being unaided, shall increase the endowment fund to Rs.5 lakhs and reserve fund equivalent to 3 months staff salary as per NCTE norms.
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the **Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report** at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.

If **S.P.G. Women's Primary Teacher's Education College, Church Road, Ranchi, Bihar** contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17 (1) of the NCTE Act.

The Institution should send a compliance report by 31st December, 2000 to ERC, NCTE.

By order

Regional Director

ERC/7-15/2000/1984 October 16, 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Eastern Regional Committee grants recognition to **National Institute of Teacher Education, Khetri, Kamrup - 782403 (Assam)** for **B.Ed.** course of **one** year duration from the academic session **2000-2001** with an annual intake of **60 (sixty)** students, subject to fulfilling the following conditions :

1. The institution shall appoint **6** teaching staff and supporting staff possessing the qualifications as laid down in the NCTE norms, before the commencement of the academic session 2000-2001 in the salary structure prescribed by the UGC/Central Government/State Government as the case may be.
2. The institution shall shift to its permanent building within a period of one year, if temporarily housed elsewhere.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating university/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the NCTE norms and standards for the course and the requirements of the affiliating university/examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution, being unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.

If **National Institute of Teacher Education, Khetri, Kamrup - 782403 (Assam)** contravenes any of the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

The institution should send a compliance report by 31st December, 2000 to ERC, NCTE.

By order

Regional Director

MINISTRY OF DEFENCE

CANTONMENT BOARD

Dehuroad, the 3rd February 2001

S. R. O. 30/20/RT—Whereas the Cantonment Board, Dehuroad proposed to levy revised rates of the Property Tax based on the Annual Rateable Value as per details given in the table below :

Whereas a public notice inviting objections and suggestions to the proposed revision of rates was published as required under section 61 read with the section 255 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) in the local news papers;

Whereas the objections received have been duly considered by the Board in its meeting held on 26 December 2000;

And whereas the Board have decided to revise the Property Tax;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Defence number SRO 332 dated the 5th November 1959 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Cantonment Board, Dehuroad with the previous sanction of the Central Government hereby imposes the Property Tax at the rates specified in the Table below, namely:–

TABLE

Annual Rateable Value of the property		Rate of Property Tax
From	To	
Rs. 1/-	Rs. 999/-	9%
Rs. 1,000/-	Rs. 4,999/-	12%
Rs. 5,000/-	Rs. 49,999/-	15%
Rs. 50,000/- and above		18%

S. R. NAYYAR
Cantonment Executive Officer

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001